खण्ड-442, अंक-10
बुधवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1924
(21 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
गोरखपुर प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग (जारी)	1-3
प्रश्नोत्तर	4-27
गोरखपुर प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग ...	27–29
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	29
ग्राम गुलड़िया भूपसिंह स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (शाहजहांपुर) की शाखा को यथावत् बनाये रखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29–30
बदायूं जनपद के दातागंज थानान्तर्गत श्री राम सरन यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी न करके उल्टे उनके परिवारजनों को मुल्जिम बनाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	30
महिला कल्याण विभाग में लिपिकीय सेवा नियमावली में मण्डल/जिला मुख्यालय की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	30–31
नगर पालिका परिषद् पुखरायां, जनपद कानपुर देहात द्वारा अपेक्षित टैक्स वसूल न कर पालिका परिषद् को धन हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद सिद्धार्थनगर के माली मेनहा तहसील डुमरियागंज तथा इटवा तहसील के ग्राम सिधरा गांव को राप्ती नदी के भीषण कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
तुलसी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अयोध्या, जनपद फैजाबाद में शिक्षिकाओं को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जनवरी, 2002 से वेतनमान दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31–32
वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सुचारु पेयजलापूर्ति हेतु 3 ट्यूबवेल को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	32–33
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	33–34
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	34
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ...	34–35

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)	35
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	35–36
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	36
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) ...	36–37
भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)... ...	37–44
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित दो घण्टे की चर्चा का स्थगन	44
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	44–47
श्री गनी मोहम्मद एवं महसूद उर्फ भूरा के विरुद्ध पुलिस द्वारा राजनैतिक द्वेष के कारण उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	47–49
नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में बिना टेण्डर के ठेके दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	49–50
उ० प्र० अंशकालीन नलकूप चालक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	50–51
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम में बार-बार परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	51–52
जनपद लखीमपुर में अत्यधिक ध्वस्त हो चुके अमृतगंज मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	53
जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम श्यामनगर अच्छेल्दा के दलित एवं गरीब किसानों की भूमि को जबरन हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	54–56

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के देवीपाटन मण्डल में वन विभाग के टिकरी रेंज मनकापुर के क्षेत्राधिकारी द्वारा मिली भगत से लाखों रुपये की वन विभाग की लकड़ियों को बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य...	56–57
इण्टरमीडिएट से लेकर बेसिक शिक्षा तक के बच्चों के प्रवेश की सीमा 31 जुलाई, 2002 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2002 तक किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	57-58
उत्तर प्रदेश के सीमान्त राज्यों से हुए पारस्परिक परिवहन समझौते अत्यधिक पुराने होने के कारण अप्रासंगिक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	58–59

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नेवेद मियां, नबाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कृष्णानन्द, श्री	गाजीपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन भैया, श्री	बागपत
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

गोरखपुर प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री अम्बिका चौधरी, श्री किरन पाल सिंह, डा० वकार अहमद शाह आदि कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे किन्तु नेता, विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर वे अपने स्थान पर बैठ गये ।)

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पीठ का भरोसा और आपकी पीठ का वजन बरकरार रहना चाहिये और सरकार को आपकी पीठ के साथ फरेब करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये । गोरखपुर के मामले में सदन में जो आश्वासन दिया गया था और माननीय मंत्री जी ने भी कड़े शब्दों में कहा था कि जो कोई भी दोषी होगा उसके साथ कड़ाई बरती जायेगी । मान्यवर उस कड़ाई का अंजाम यह हुआ कि सरकार ने [xxx] के आगे घुटने टेक दिये और जिला प्रशासन ने भी [xxx] के आगे घुटने टेक दिये । अलीगढ़ का डी० आई० जी० अगर यह कहकर हटा दिया जायेगा कि वह आई०एस०आई० का एजेण्ट है । उसे इस तरह अपमानित किया जायेगा । यह इसलिये किया जायेगा क्योंकि उसका [xxx] और जिलाधिकारी को इसलिये हटाया जायेगा कि उसने दंगा न होने देने की कोशिश की है और एस० एस० पी० को इसलिये रखा जायेगा क्योंकि उसने [xxx] के सामने घुटने टेक दिये हैं । मान्यवर, ऐसा कैसे चलेगा ? मान्यवर, आपको शासन चलाने का भी तजुर्बा है । जिले का प्रशासन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक देखते हैं । पहली गाज [xxx] डी० आई० जी० पर क्योंकि उसने गोरखपुर का माहौल ठीक करने की कोशिश की क्योंकि उस व्यक्ति पर 9 मुकदमें कायम हैं । मान्यवर, 307 व 302 के मुकदमें उस पर कायम हैं लेकिन उसने उसके आगे घुटने नहीं टेके । मान्यवर, जिस व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमें दर्ज हैं, जिसके सामने सरकार घुटने टेक रही है और दबाव में डी० एम० और डी० आई० जी० का तबादला करती है तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जाकर पुलिस वाला किसी के एक डंडा मारने की हिम्मत कर सकता है ? सरकार ने धोखा दिया है सदन में कल । हमें अफसोस है कि बार-बार जिन लोगों की बात की जाती है अल्पसंख्यकों की, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुसलमान को जीने का हक क्या नहीं मिलेगा ? गोरखपुर के मुसलमान को क्या जीने का हक नहीं है ? बहुजन समाज पार्टी की सरकार के सामने मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है तो उसे साम्प्रदायिकता कहा जाता है, [xxx] को यादव होने के नाते हटाया गया क्या साम्प्रदायिकता है, अलीगढ़ में यादव अधिकारी का अपमान हुआ तो क्या यह साम्प्रदायिकता है ? बुलन्दशहर में ठाकुर, जाट के साथ इस तरह का व्यवहार किया जायेगा, उन सबके तबादले कर दिये जायेंगे । क्या सरकार मायावती की जाति के अलावा किसी दूसरी जाति के लोगों को जीने का हक नहीं देगी ? प्रदेश का हर व्यक्ति अपमानित किया जायगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सरकार नहीं चाहती है कि गोरखपुर में अमन बहाल हो । हमारा मत ही नहीं, बल्कि इल्जाम है कि सरकार चाहती है कि गोरखपुर में [xxx] हो । सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में [xxx] हो । सरकार उत्तर प्रदेश को [xxx] बनाना चाहती है और ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है जो [xxx] करवाते हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं आग्रह नहीं करता कि आप सरकार को इंगित करें और सरकार को मजबूर करें कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी, घोषणा करें कि जिन अधिकारियों को जाति देखकर, उनकी बिरादरी देखकर और उनको आई० एस० आई० का एजेंट बताकर हटाया गया है उनको वहां बहाल किया जाय । वहां के मुसलमानों को जलवाने, मरवाने और वहां साम्प्रदायिक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है । हिन्दू मुसलमान के अच्छे रिश्तों को बरबाद करने की साजिश की जा रही है । यह सौभाग्य की बात है कि तमाम घटनाओं के बावजूद, कब्रिस्तान में पेड़ को लगाने के बावजूद भी वहां पर हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ । वहां पर जिस तरह से बुरे अधिकारियों को रोका गया है, उसमें सरकार की साजिश की बू आ रही है । सरकार प्रदेश को जलाना चाहती है । इसलिये मेरी मांग है कि जिन अधिकारियों को वहां से हटाया गया है उनको वहां रोके और वहां के एस०एस० पी० का फौरन तबादला करें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि गुजरात की तर्ज पर गोरखपुर में दंगा कराकर उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोकने की साजिश पर काम हो रहा है । सांसद [xxx] जिनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज हैं उनके यहां अधिकारी दरबार लगाते हैं तो दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही क्या होगी । वहां पर मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग आ रहे थे । मस्जिद के सामने धरना दिया गया और उनके ऊपर पत्थर फेकें गये और गोलियां चलाकर आतंकित करने का काम किया गया है । गुजरात का एक्सपेरीमेंट जो है उसको दोहराया जा रहा है । उसी को दोहराने का काम गोरखपुर में किया जा रहा है । [xxx] दंगा फैलाना चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाय । कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से यह स्वीकार किया था कि सांसद [xxx] के हाथ इसमें किस तरह से है उनका हाथ स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों से खींच कर पकड़ कर लाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नाम लिया है । इस सदन की एक सर्वमान्य परम्परा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिये । आप सांसद कह दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने नाम नहीं लिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं दंगा कराऊंगा तो मेरा नाम लिया जायगा । मैंने किसी राजनीतिक चर्चा में नाम नहीं लिया है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मस्जिद के सामने जिसने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया उसका नाम लिया । वह मस्जिद कोई डी०एम० का आफिस नहीं है, कोई विधान सभा के दरवाजे नहीं हैं, कोई तहसीलदार का आफिस नहीं है । इसलिए [xxx] का नाम लिया गया । कोई राजनीतिक चर्चा में [xxx] का नाम नहीं लिया गया । नमाजियों पर पत्थर बरसाने का, उन पर गोलियां चलाने का जिसने काम किया उसका नाम लिया गया । [x x x] के दरबार में दरोगा, सी०ओ०, एस०पी० हाजिरी लगाते हैं । जब तक संसदीय कार्यमंत्री सांसद अपराधी को गिरफ्तार करने की घोषणा नहीं करते तब तक किसी प्रशासनिक कदम का कोई अर्थ नहीं है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि कल इस समय जब चर्चा चली थी तो उस समय संसदीय कार्यमंत्री को निर्देश दिए गए थे । जो बातें कल हुई उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह आज नियम–56 की सूचना के खत्म होने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है उसकी सूचना सदन को देंगे । मैं समझता हूं कि वह समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा ।

सरकार को भी उत्तर देने का अवसर दें ।

(श्री राम करन आर्य, श्री रियाज अहमद, श्री अरविन्द गिरि, श्री बैजनाथ दुबे, श्री उदयराज तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में एड्स के विरुद्ध प्रभावी जागरुकता उत्पन्न करने हेतु सरकार की योजना

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अब तक कितने एड्स के मरीजों की पहचान हो चुकी हैं ? क्या एड्स के विरुद्ध प्रभावी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जून, 2002 तक कुल 681 एड्स के मरीजों की पहचान हुई ।

जी हां । एड्स के विरुद्ध प्रभावी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं फोक मीडिया को व्यापक एवं सतत रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों के स्थाई इलाज के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

*2–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ? क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों के इलाज हेतु दवाओं की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश में मधुमेह, कैंसर के रोगियों में हो रही वृद्धि की कोई स्पष्ट/विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

जी नहीं । मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों के स्थाई इलाज हेतु अभी तक कोई सफल दवा विकसित नहीं की जा सकी है । मधुमेह एक वंशानुगत रोग है । इसके नियंत्रण हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में दवाओं की कोई कमी नहीं है ।

प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों को वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन मेडिकल कालेजों– आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी उत्तरित माने गये ।

चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । प्रदेश के जिला चिकित्सालयों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के अधीन रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त जे० के० कैंसर इन्स्टीट्यूट कानपुर, रीजनल कैंसर संस्थान, कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर तथा वाराणसी एवं अलीगढ़ स्थित केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों द्वारा कैंसर के रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उ० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है । एड्स रोग की नियंत्रण की दवा अभी तक विकसित नहीं हुई है ।

एड्स अवसरवादी संक्रमण जनित रोग है, इस कमी को दूर करने हेतु सूचना, शिक्षा व संचार का, इन रोगों के, प्रचार-प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण में अहम भूमिका है । उ० प्र० सरकार द्वारा इन रोगों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कैंसर, गुर्दा रोग एवं एड्स के रोगों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा सुविधाओं की जानकारी

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कैंसर, गुर्दा रोग एवं एड्स के कितने मरीज हैं ? इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश में कैंसर एवं गुर्दा रोग के कितने मरीज हैं, इसकी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है । माह जून, 2002 तक एड्स के 681 रोगी पहचाने गये हैं ।

गुर्दा रोग की रोकथाम के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है ।

प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों को वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन मेडिकल कालेजों–आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी तथा के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । प्रदेश के जिला चिकित्सालयों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के अधीन रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त जे० के० कैंसर इन्स्टीट्यूट कानपुर, रीजनल कैंसर संस्थान, कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान, गोरखपुर तथा वाराणसी एवं अलीगढ़ स्थित केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों द्वारा कैंसर के रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उ० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। एड्स रोग की नियंत्रण की दवा अभी तक विकसित नहीं हुई है।

एड्स अवसरवादी संक्रमण जनित रोग है, इस कमी को दूर करने हेतु सूचना, शिक्षा व संचार का, इन रोगों के, प्रचार-प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण में अहम भूमिका है। उ० प्र० सरकार द्वारा इन रोगों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

*2—श्री राम विशुन आजाद–

[दिनांक 14-8-2002 को तारां० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

विभिन्न जनपदों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के लखनऊ स्थित सरकारी आवास को खाली करवाये जाने की कार्यवाही की जानकारी

*3—श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने आई०ए०एस० अधिकारी हैं, जो लखनऊ से भिन्न जनपदों में तैनात हैं और उनके परिवार लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों से उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां। 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार 29 आई०ए०एस० अधिकारी हैं, जो लखनऊ से भिन्न जनपदों में तैनात हैं तथा उनके परिजन लखनऊ मुख्यालय पर राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा उन्हें आवंटित आवासों में रह रहे हैं।

जी हां। स्थानान्तरण के पश्चात् ऐसे अधिकारियों को जिन्हें नियमानुसार अतिरिक्त अध्यासन की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है, से आवास रिक्त कराये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम–22 सन् 1972 के तहत मा० विहित प्राधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को क्षय रोग से पूर्णतः मुक्त करवाने हेतु सरकार की योजना

*4—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को क्षय रोग से पूर्णतः मुक्त करने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश क्षय रोग से पूर्णतः मुक्त करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्षय नियंत्रण कार्यक्रम/पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा के पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की सम्भावना की जानकारी

*5—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम भुआल निषाद)–

जी हां ।

छात्रवृत्ति हेतु गत वर्ष की तुलना में, इस वर्ष (वर्ष 2002-03) अधिक धनराशि प्रस्तावित है । इस धनराशि एवं इसके सापेक्ष केन्द्र सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि सम्भावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा एड्स की रोकथाम हेतु विगत वर्षों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी

*6—श्री रामजीत राजभर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को एड्स रोकथाम के लिए विश्व बैंक तथा भारत सरकार से कितना धन वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001 तथा जून 2002 तक वर्षवार प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि होर्डिंग बोर्ड लगवाने, एवं प्रचार प्रसार सामग्री छपवाने में बिना निविदा के धनराशि व्यय किये जाने का मामला शासन के प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह–

एड्स रोकथाम हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1998-99	200.00
1999-2000	1092.41
2000-2001	1225.00
2001.2002	1465.00
2002-2003 (30 जून, 2002 तक)	शून्य

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा के स्टोन क्रेशर उद्योग की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग

*7—श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के स्टोन क्रेशर उद्योग की समस्याओं के स्थायी निदान के लिये क्या पृथक स्टोन क्रेशर जोन विकसित करने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*8—श्री विजय सिंह–

[मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*9—श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

[उसरे सोमवार के तारां० प्र० सं०–13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राइमरी विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों को आवर्ती अनुदान दिये जाने की मांग

1–श्री नारद राय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राइमरी विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों को आवर्ती अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

जी नहीं ।

वर्तमान में प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राइमरी विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर वाराणसी की खराब पड़ी एक्सरे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन को ठीक कराये जाने की मांग

2–श्री राम किशुन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर वाराणसी में विगत कई वर्षों से एक्सरे एवं अल्ट्रासाउन्ड की मशीनें खराब पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त मशीनों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रश्नगत चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध नहीं है । एक्स-रे मशीन वर्ष 1996 से खराब एवं निष्प्रयोज्य योग्य पड़ी है । मशीन मरम्मत योग्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला में चिकित्सकों की नियुक्ति

3—श्री अनवर महमूद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के सामुदायिक स्वा० केन्द्र उतरौला में क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप डाक्टरों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला में अभी पद सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है, फिलहाल अस्पताल चलाने के लिए दो चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की कतिपय बीमार कताई मिल्स को मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उ०प्र०सह० कताई मिल्स संघ की बीमार कताई मिल सह० कताई मिल बहुडी, अमरोहा, फतेहपुर, मऊआइमा तथा बहादुरगंज (गाजीपुर) को सुचारु रूप से चलाये जाने तथा उक्त मिल में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को भुखमरी से बचाने हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि निर्गत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० की बहेड़ी (बरेली), अमरोहा (मुरादाबाद), मऊआइमा (इलाहाबाद), बहादुरगंज (गाजीपुर) एवं फतेहपुर स्थित कताई मिलों को कार्यशील पूंजी में वृद्धि हेतु

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मार्जिन मनी के रूप में एक-एक करोड़ अर्थात कुल पांच करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने का निर्णय मा० मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से लिया गया है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लि० द्वारा जारी डिवेंचर बाण्ड्स में निवेशित धनराशि की वापसी न हो सकने के विरुद्ध महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एक निवेशक) द्वारा योजित वाद संख्या–2792 सन् 2000 में मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के पारित 3-12-2001 के आदेश से संघ के पास उपलब्ध राशि के लेन-देन पर रिसीवर की नियुक्ति हो जाने पर और इस स्थिति में न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि संघ को प्राप्त होने पर इसके परिबद्ध हो सकने के कारण इस प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के पारित प्रसंगगत दिनांक 3-12-2001 के निर्णय के विरुद्ध संघ की ओर से योजित विशेष अपील सं० 84 सन् 2002 में अन्तिम निर्णय अभी लम्बित है।

जनपद कन्नौज के राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सक के पदों को भरे जाने की मांग

5—श्री विजय बहादुर पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में ऐसे कितने राजकीय चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्सक नहीं हैं ? क्या सरकार रिक्त पुरुष एवं महिला चिकित्सकों के पद भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की मांग

6—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम में 30 शैय्याओं वाले अर्द्धनिर्मित भवन को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम, लखनऊ में 30 शैय्याओं वाला चिकित्सालय माह मार्च, 99 से पूर्ण कर संचालित किया जा चुका है।

जनपद रायबरेली, ग्राम–लल्ला खेड़ा, पोस्ट–अतरहर, ब्लाक–खीरों में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बाबू बैजनाथ कुरील राजकीय एलोपैथ चिकित्सालय खोले जाने की कार्यवाही

7–श्री अजीम भाई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्यमंत्री के आदेश संख्या–ए/805/सीएम–1/96, दि० 1-4-97 तथा आदेश संख्या–805/ सीएम–1/96, दिनांक 27-5-97 एवं आदेश 1995-1997, 2001 जोकि ग्राम लल्ला खेड़ा, पोस्ट अतरहर, ब्लाक खीरों, जिला–रायबरेली में बाबू बैजनाथ कुरील राजकीय एलोपैथ चिकित्सालय, लल्ला खेड़ा खोलने हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या आदेशों का पालन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रश्न में संदर्भित पत्र/आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय के कतिपय डाक्टरों के जांच में दोषी पाये जाने पर स्थानान्तरण की मांग

8–श्री परागी लाल अहिरवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा० ओ०पी० श्रीवास्तव, डा० आर०एस० त्रिवेदी एवं डा० योगमाया त्रिवेदी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के विरुद्ध निदेशक भण्डार स्वा० निदेशालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच में उक्त चिकित्साधिकारियों को दोषी पाया गया है ? क्या यह सत्य है कि निदेशक भण्डार ने अपने पत्र संख्या–नि०/भण्डार/सी०–222–25 लखनऊ, दिनांक 22-6-2002 में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण अनुशंसा की है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

अपर निदेशक (भण्डार) ने अपने पत्र दिनांक 22-6-2002 में महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में पैथालाजिस्ट के पद पर कार्यरत डा० आर० एस० त्रिवेदी, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षिक, महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ डा० (श्रीमती) योगमाया त्रिवेदी के पति हैं, को प्रशासनिक पारदर्शिता के दृष्टिकोण से पुरुष चिकित्सालय में तथा पुरुष चिकित्सालय के पैथालाजिस्ट को महिला चिकित्सालय में तैनात किये जाने का सुझाव दिया है । उक्त पत्र में डा० ओ० पी० श्रीवास्तव के स्थानान्तरण की अनुशंसा नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

अपर निदेशक की निरीक्षण आख्या में प्रश्न में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों को दोषी नहीं पाया गया है । अतः उन्हें स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा पोषित कानपुर मण्डल की बीमार इकाइयों/प्रतिष्ठानों की नीलामी की धनराशि की जानकारी

9–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 2000 से 15 जुलाई, 2002 तक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा वित्त पोषित कानपुर मण्डल में स्थापित कितनी बीमार इकाइयों/प्रतिष्ठानों की सार्वजनिक नीलामी की गई ? क्या नीलामी से प्राप्त धन के बाद कुल कितनी धनराशि वसूली किया जाना शेष है तथा कितनी धनराशि अन्तिम रूप से डूब चुकी है ?

सुश्री मायावती–

31 मार्च, 2000 से 15 जुलाई, 2002 तक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा वित्त पोषित कानपुर मण्डल में कुल 96 बीमार इकाइयों/प्रतिष्ठानों की सार्वजनिक नीलामी की गयी ।

उपरोक्त इकाइयों के ऋण दाताओं से रु० 1088.23 लाख की मूल धनराशि वसूल किया जाना अवशेष है ।

कोई भी धनराशि अन्तिम रूप से डूबी नहीं है ।

जनपद मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल में टी० बी० के मरीजों हेतु उपलब्ध शैय्याओं की जानकारी

10–श्री शाहिद मंजूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल में टी०बी० के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शैय्याओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

उपचार हेतु भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या के दृष्टिगत शैय्याओं की संख्या सम्प्रति पर्याप्त है ।

11–श्री राम विशुन आजाद–

[2सरे गुरुवार के अता० प्र० सं०–160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गंगा प्रसाद के नाम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा का नामकरण एवं मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

12–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गंगा प्रसाद के नाम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा का नामकरण एवं उनकी स्मृति में मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 4-7-02 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है।

जनपद सन्त कबीरनगर भदोही के जिला अस्पताल ज्ञानपुर से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ लिपिक श्री गोलक मिश्र के देयों के भुगतान की मांग

13–श्री मूल चन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गोलक मिश्र वरिष्ठ लिपिक जिला अस्पताल ज्ञानपुर, जनपद सन्त कबीर नगर भदोही से दि० 31 मई, 2000 को सेवानिवृत्त हुए हैं ? क्या उनके सभी देयों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उनकी पेंशन व सभी बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

आंशिक भुगतान किया जा चुका है।

इनको 300 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा चुका है। शेष अन्य के बारे में कार्यवाही की जा रही है। पेंशन प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। निर्णय होने के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

जनपद कुशीनगर के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लाखों रुपयों की औषधियों की खरीद में अनियमितता की जांच

14–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जनपद कुशीनगर में लाखों रुपये की औषधियों की खरीद में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हंसराज महामंत्री जनपद पत्रकार संघ कुशीनगर का शिकायती-पत्र दिनांक 21-12-2000, अनुस्मारक पत्र दिनांक 24-2-2001, 27-3-2001, 28-5-2001, 12-10-2001, 23-10-2001, 10-12-2001 एवं 17-4-2002 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां।

श्री हंसराज के शिकायती-पत्रों में उल्लिखित शिकायती प्रकरण की जांच निदेशक स्तर के अधिकारी से करायी जा चुकी है। जांचाख्या शासन को दिनांक 13-8-2002 को प्राप्त हो गयी है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील की निवासी श्रीमती शफकत फातिमा पत्नी स्व० श्री नुजहत अली, सेवानिवृत्त पी० पी० एस० अधिकारी के परिवार को दी जाने वाली कुटुम्ब पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही

15—श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती शफकत फातिमा निवासी नुसरत मंजिल, सण्डीला जिला हरदोई पत्नी स्व० श्री नुजहत अली, सेवानिवृत्त पी० पी० एस० अधिकारी जो यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन, चुर्क मिर्जापुर (वर्तमान में सोनभद्र) से ओ० सी० पी० ओ० के पद पर से वर्ष 1974 में सेवानिवृत्त हुए, का पारिवारिक पेंशन प्रकरण कार्यालय ज्ञाप सं० सा–3–1062/दस–308/87, दिनांक 24-8-98 के द्वारा संदर्भित सितम्बर, 1998 में रजिस्टर्ड डाक से पुनरीक्षित कुटुम्ब पेंशन के निर्धारण हेतु भेजा गया था, यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन सोनभद्र में प्राप्त हुआ है ? क्या श्रीमती शफकत फातिमा की कुटुम्ब पेंशन का पुनरीक्षण करके उनके समस्त बकाया देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी कुटुम्ब पेंशन का पुनरीक्षण करके अब तक के समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दि० 8-12-99 के आदेश से परिसमापनाधीन है और परिसमापन की कार्यवाही हेतु इसके समापक के रूप में शासकीय समापक नियुक्त है । इस कारपोरेशन के कार्य-कलापों का विवरण एवं समस्त अभिलेख शासकीय समापक के कब्जे में है । अतएव इस स्थिति में यह बता पाना सम्भव नहीं है कि प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-8-98 के अनुसार श्रीमती शफकत फातिमा (पत्नी स्व० श्री नुजहत अली, सेवानिवृत्त पी० पी० एस० अधिकारी) का कुटुम्ब पेंशन पुनरीक्षण/संशोधन संबंधी सितम्बर, 1998 में रजिस्टर्ड डाक से संदर्भित प्रकरण उ० प्र० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०, सोनभद्र में प्राप्त हुआ है अथवा नहीं ।

नियुक्ति विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उनके यहां श्रीमती शफकत फातिमा का कुटुम्ब पेंशन का पुनरीक्षण संबंधी आवेदन-पत्र प्राप्त न होने से उनके कुटुम्ब पेंशन का पुनरीक्षण/संशोधन नहीं हो पाया है।

उनसे पुनरीक्षण संबंधी आवेदन-पत्र नियुक्ति विभाग से प्राप्त होने पर ही उनके कुटुम्ब पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण उपरान्त बकाया देयों के भुगतान के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है ।

जनपद बिजनौर, मेडिकल कालोनी, मण्डावर रोड के निवासी श्री कौशरअता की एक्सरे टेक्नीशियन की अनियमित नियुक्ति की जानकारी

16—श्री समरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनपद बिजनौर उ० प्र० लखनऊ के अर्ध शा० प० सं०–4 डी०(2)/89-90/सी०–209, दिनांक 29 जून, 1989 के द्वारा श्री कौशरअता निवासी–मेडिकल कालोनी, मण्डावर रोड, बिजनौर की

नियुक्ति एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को दिनांक 31-12-98 को टेक्नीशियन के पद पर स्थायी घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को स्थायी घोषित किये जाने के बाद भी दिनांक 3 जुलाई, 2000 को बिना कारण बताओ नोटिस (आरोप-पत्र) के उनकी सेवायें समाप्त करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी की सेवा समाप्ति करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्री कौशरअता की अनियमित रूप से एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर की गयी नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच करायी गयी । जांच अधिकारी द्वारा इनकी नियुक्ति को पूर्णतया अनियमित एवं सुसंगत नियमों/सेवा नियमावली के प्राविधानों के विपरीत पाया गया तद्नुसार शासनादेश संख्या–913/5-7-आठ–13/99, दिनांक 19-5-2000 द्वारा श्री कौशरअता की नियुक्ति समाप्त की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर में कुत्ता तथा सर्प काटने के इन्जेक्शन सभी चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

17—श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में कुत्ता काटने तथा सर्प काटने का इंजेक्शन व दवायें किन-किन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं ? उक्त दवायें मरीजों को किस आधार पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

कुत्ता व सर्प काटने की औषधियां जिले के सभी चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है ।

उक्त औषधियां एवं वैक्सीन मरीजों को चिकित्सकों के परामर्श के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

जनपद मेरठ के जिला अस्पताल में पन्द्रह वर्षों से तैनात डाक्टरों का स्थानान्तरण किये जाने की मांग

18—श्री शाहिद मंजूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में डाक्टरों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? मेरठ जिला अस्पताल में कितने डाक्टर ऐसे हैं जो लगभग 15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन डाक्टरों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1/3/96-का०–4-2002, दिनांक 12-6-2002 द्वारा निर्गत नीति चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लागू है ।

जिला चिकित्सालय, मेरठ में 02 डाक्टर 15 वर्ष से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

स्थानान्तरण नीति में डाक्टरों के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

जनपद मेरठ की तहसील–मुवाना में विगत पांच वर्षों में स्थापित किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण

19—श्री शाहिद मंजूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ की तहसील–मुवाना में विगत 5 वर्षों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनसंख्या के आधार पर स्थापित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद मेरठ की तहसील मुवाना में विगत पांच वर्षों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बुनकरों व कपड़ा छपाई का कार्य करने वाले अल्पसंख्यकों के पलायन को रोकने हेतु रोजगार-परक योजनाओं की जानकारी

20—श्री मूल चन्द–

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुनकरों व कपड़ा छपाई का कार्य करने वाले अल्पसंख्यकों के प्रदेश से पलायन को रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी हां, प्रदेश के बुनकरों एवं कपड़ा छपाई का कार्य करने वाले बुनकर समुदाय के संरक्षण हेतु पूर्व से कई रोजगारपरक योजनाएं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं ।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1—सामूहिक बीमा योजना

2—न्यू इन्श्योरेंश बीमा योजना

3—पावरलूम बीमा योजना

4—जनश्री बीमा योजना

5—थ्रिफ्ट फण्ड योजना

6—हेल्थ पैकेज योजना

7—दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

8—निर्यात हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन एवं विपणन विकास योजना

9—आवास कार्यशाला योजना

10—जिला स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनियां

11—क्राफ्ट मेले

12—नेशनल हैण्डलूम एक्सपो

13—विपणन विकास सहायता

14—रिबेट योजना

15—हथकरघा विकास योजना

16—प्रोजेक्ट पैकेज योजना

17—बुनकर बहबूदी फण्ड योजना

18—एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना

19—ऋण माफी योजना (राज्य पोषित)

20—मार्जिन मनी फार डेस्टीट्यूट वीवर्स योजना

21—90 प्रतिशत शासकीय गारण्टी वीवर्स योजना (राज्य पोषित)

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के गृह जनपद में तैनात डाक्टरों की संख्या एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

21—श्री शाहिद मंजूर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या डाक्टरों को उनके गृह जनपद से स्थानान्तरण करने की नीति पूरे प्रदेश में लागू की गई है ? यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 में गृह जनपद से बाहर स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद–मेरठ से कितने डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया है ? क्या जनपद–मेरठ में ऐसे डाक्टर शेष रह गये हैं जिनका गृह जनपद मेरठ ही है ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न होने का क्या औचित्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

वर्ष 2002-2003 में जनपद मेरठ से ऐसे 2 चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

जी हां ।

स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

22–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

प्रदेश में विभाग के अधीन विभिन्न संस्थाओं में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 218 पद रिक्त हैं ।

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में कतिपय वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण प्रकरण लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक–सरसौल में वर्ष 2000-2001 तथा 2001 से जुलाई, 2002 तक वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक सरसौल जनपद कानपुर नगर में वर्ष 2000-2001 व 2001 से 10 जुलाई, 2002 तक कुल कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये हैं उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करके कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है ? शेष प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक सरसौल में वर्ष 2000-2001 व 2001 से 10 जुलाई, 2002 तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु कुल 690 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 513 आवेदन-पत्रों को निस्तारण करके वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । शेष 177 आवेदन-पत्रों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा भौतिक लक्ष्य बढ़ाये जाने अथवा आगामी सत्यापनों में मृतक/अपात्र पाये जाने वाले लाभार्थियों के रिक्त स्थान होने पर निर्भर है ।

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक बिधनू में वर्ष जनवरी, 2000 से 15 जुलाई, 2002 तक वृद्धावस्था पेंशन संबंधी पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के ब्लाक बिधनू में वर्ष जनवरी, 2000 से 15 जुलाई, 2002 तक कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? तथा उनमें से कितने प्रकरणों को निस्तारित करके कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है ? शेष प्रकरणों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक बिधनू में जनवरी, 2000 से 15 जुलाई, 2002 तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु कुल 769 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 330 आवेदन-पत्रों को निस्तारित करके वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । शेष 439 आवेदन-पत्रों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा भौतिक लक्ष्य बढ़ाये जाने अथवा आगामी सत्यापनों में मृतक/अपात्र पाये जाने वाले लाभार्थियों के रिक्त स्थान होने पर निर्भर है ।

जनपद कानपुर नगर में 31 मार्च, 2000 से 15 जुलाई, 2002 में निराश्रित विधवाओं के लिए स्वीकृत/लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण

25–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 2000 से 15 जुलाई, 2002 के मध्य जनपद कानपुर नगर में निराश्रित विधवाओं को पेंशन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी कुल कितने प्रकरण लम्बित हैं ? लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? उक्त प्रकरण में

कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पेंशन कब तक स्वीकृत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

4230 प्रकरण ।

मृतक/अपात्रों के कारण होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष 349 पात्र महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया गया है । वित्तीय संसाधनों के अभाव में शेष महिलाओं को पेंशन की स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के पी०पी० सेन्टर सण्डीला में वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुरूप दवाइयों की उपलब्धता

26–डा० विनोद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पी०पी० सेन्टर सण्डीला जनपद–हरदोई में वर्तमान समय में पैथालोजी सम्बन्धी दवाएं एवं अन्य सामग्री उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त सेन्टर पर दवाइयां एवं अन्य सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

पी०पी० सेन्टर सण्डीला जनपद हरदोई में पैथालोजी संबंधी दवायें एवं अन्य सामग्री वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं ।

वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुरूप सेन्टर पर दवाइयां उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के सी० एच० सी० से सेवानिवृत्त मो० जाबिर मलिक फार्मासिस्ट की पेंशन भुगतान कराने की मांग

27–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मो० जाबिर मलिक फार्मासिस्ट के पद पर सी०एच०सी० मोहनलालगंज, लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या उनके जी०पी०एफ० तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 05-03-2002 का शिकायती-पत्र निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड असोहा के जूनियर माध्यमिक विद्यालय मिरीकला में अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी

28–श्री उदय राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर माध्यमिक विद्यालय मिरीकला विकास खण्ड असोहा जनपद–उन्नाव में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति मद में वर्ष 1999-2000 में कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या उक्त विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जूनियर माध्यमिक विद्यालय मिरीकला विकास खण्ड असोहा जनपद–उन्नाव को वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मद में रु० 40,800/–की धनराशि ग्राम निधि–3 के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया मिरीकला के खाता संख्या–2504 में स्थानान्तरित की गयी थी ।

धनराशि जिन छात्रों के लिए उक्त विद्यालय को दी गयी थी उन छात्रों को भुगतान न करके अन्य छात्रों को भुगतान कर दिया गया है । इस प्रकरण की जांच जिलाधिकारी के निर्देश दि० 24-7-2002 के अनुसार उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव को सौंपी गयी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर अन्य अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव के समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण की मांग

29–श्री उदय राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु समाज कल्याण विभाग उन्नाव में 31 मार्च, 2002 तक कितने आवेदन पत्र लम्बित थे ? क्या उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अनुसूचित जाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी/इलाज हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव के कार्यालय में 685 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत 164 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ को विकसित करने की योजना

30–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद बांदा के औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ को वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकसित करने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[illegible] पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

क्योंकि उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पूर्व में ही औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ विकसित किया जा चुका है ।

लखनऊ, चिकित्सा सेवायें माल एवेन्यू से एक्स-रे तकनीशियन के प्रशिक्षण हेतु मांगे गये आवेदन-पत्रों की जानकारी

31–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 में चिकित्सा सेवायें माल एवेन्यू, लखनऊ से एक्स-रे तकनीशियनों के प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? क्या अभी तक उक्त प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त परीक्षा आयोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

चयन प्रक्रिया के संबंध में कतिपय शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है ।

जांच के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० फर्मासिस्ट काउन्सिल में रजिस्टर्ड फर्मासिस्टों की संख्या व उन्हें सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने संबंधी जानकारी

32–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० फर्मासिस्ट काउंसिल में 31 मार्च, 2002 तक कितने फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं ? क्या फार्मासिस्टों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की कोई योजना शासन् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

31 मार्च, 2002 तक पंजीकृत फार्मासिस्टों की संख्या–26851 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

33–श्री योगेन्द्र कुमार–

[4थे शुक्रवार के अता०प्र०सं०–135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर के कालेज आफ नर्सिंग में बी०एस०सी० नर्सिंग कोर्स पर व्यय के सरकार द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था संबंधी जानकारी

34–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ० प्र० द्वारा वर्ष 1987-88 में स्वास्थ्य समीक्षा तथा वर्ष 1988-89 में माननीय विधायकों को वितरित प्रस्तावित कार्यक्रम की पुस्तिका में कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा दो वर्षीय

बी०एस०सी० नर्सिंग कोर्स पर होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन करने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में यह व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण हेतु चयन में की गई धांधली की जांच

35–श्री रामजीत राजभर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2000-2001 में स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु चयन किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त चयन में भारी धांधली हो जाने के कारण उसकी जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जांच में चयन में धांधली की बात निराधार पायी गयी। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्रा० पाठशालाओं के अध्यापकों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

36–श्री शारदानन्द अंचल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के छठे बुधवार के अता० प्र० सं०–30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बताने कि जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रा० पाठशालाओं के अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान अब तक न करने के क्या कारण हैं ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के बकाये वेतन अनुदान का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका है। धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद सन्त कबीर नगर के चिकित्सालय को जिला अस्पताल में परिवर्तित करने संबंधी जानकारी

37–श्री शंख लाल मांझी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर के जिला मुख्यालय पर पहले से ही स्थापित चिकित्सालय को जिला अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो

क्या जिला अस्पताल पर मानक के अनुरूप सभी सुविधायें मुहैया करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त कबीर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित किये जाने का प्रकरण

38–श्री शंख लाल मांझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नवसृजित जिला सन्त कबीर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद कब तक सृजित कर दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

नवसृजित जिला संत कबीर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित नहीं है ।

नवसृजित जिला संत कबीर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

39–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[3 सरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बलिया विकास खण्ड सीयर की कतिपय ग्राम सभाओं की प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों की आहरित छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों में वितरित न किये जाने की शिकायतें

40–श्री रामजीत राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा बहुता चक उपाध्याय एवं ग्राम सभा कड़सर (कुर्हा तेतरा) के प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति गत तीन वर्षों से छात्रों को न देकर आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

स्वीकृत धनराशि आहरित कर लिये जाने के बावजूद समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है । जिलाधिकारी के स्तर पर करायी गयी जांच के आधार पर

(1) श्री भृगुनाथ पुत्र श्री प्रभुनाथ ग्राम पंचायत बहुता चक उपाध्याय

(2) श्री सुभाष चन्द्र गुप्त तत्कालीन प्रधानाध्यापक, बहुता चक उपाध्याय (3) श्री सदाफल अनुसूचित जाति के सदस्य के विरुद्ध थाना–उभांव, जिला–बलिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद बांदा में कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

41–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उक्त केन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्तियां न होने के कारण चिकित्सालय बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रों पर मानक के अनुसार डाक्टरों की नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद बांदा में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ।

जी नहीं ।

चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला चिकित्सालय के आर्थो सर्जन की शिकायत संबंधी जांच पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में कार्यरत आर्थो सर्जन की शिकायत सम्बन्धी जांच शासन ने पत्र संख्या 2–क/280/99-13193, दिनांक 01-08-2001 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से करायी गयी थी ? क्या उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 20-10-2001 के पत्र संख्या अ०नि०/जांच/2001/11644 द्वारा शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

शासन के पत्र संख्या–शि०–122/चि०–3–99-6(शिकायत)/2000, दिनांक 13-4-2000 द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से शिकायतों की जांच करायी गयी थी ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्र संख्या–अ०नि०/जांच/2001/7952, दिनांक 17-08-2001 द्वारा शासन में प्राप्त हुई ।

जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही से हुई श्री घूरे की मृत्यु की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

43–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में श्री घूरे, ग्राम कलनाखोर की मृत्यु दिनांक 1-11-99 को चिकित्सकों की लापरवाही से हुई थी जिसकी जांच शासन द्वारा अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से करायी गयी ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी चिकित्सकों को मण्डल के बाहर स्थानान्तरित करने का आदेश शासन द्वारा दिनांक 26-12-2001 को दिये गये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से पुनः उक्त दोषी चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में तैनात कर दिया गया ? क्या शासन उक्त दोषी चिकित्सकों को तत्काल जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर से स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में दो चिकित्सा अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया था जिसमें से एक चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण जनहित में निरस्त कर दिया गया । दूसरा चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में तैनात नहीं है ।

चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है । जांच आख्या पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की उनके गृह जनपद में तैनाती की नीति की जानकारी तथा लखनऊ में ऐसे चिकित्साधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

44–श्री उदयराज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की उनके गृह जनपद में तैनाती के सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ? ऐसे एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, जिनका गृह जनपद एवं तैनाती स्थान दोनों लखनऊ हैं उनको लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व अध्यक्ष भा०ज०पा० श्री ओम प्रकाश तिवारी का पत्र संख्या–21 दिनांक 8 अप्रैल, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

शासन की एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात न किये जाने की नीति विद्यमान है ।

डा० सुभाष चन्द्र दास, दन्तशल्यक, भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर, लखनऊ को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है ।

शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2002 द्वारा डा० दास का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरगढ़, जनपद–बाराबंकी में कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि से संबंधित ट्रेजरी चालान ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने तथा वापस करने का प्रकरण

45–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में वर्ष 1999-2000 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कक्षा । से 8 तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों को छात्रवृत्ति धनराशि के ट्रेजरी चेक उपलब्ध कराये गये तथा कितनी धनराशि के कितने चेक भुगतान न होने के कारण ग्राम पंचायतों से जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को वापस प्राप्त हुए ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

वर्ष 1999-2000 में जनपद की समस्त 957 ग्राम पंचायतों को छात्रवृत्ति के ट्रेजरी द्वारा जारी चेक उपलब्ध कराये गये थे जिनमें से रु० 21.04 लाख की धनराशि के कुल 190 चेक जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर से संबंधित ग्राम पंचायतों से वापस प्राप्त हुए ।

प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच के परिणामों के आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के कतिपय प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार औषधि की उपलब्धता तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की तैनाती

46–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, सोनाडीह, पशुहारी, ककरासों, मालीपुर, खन्दवा, कसौन्डर, किरिहरापुर, भिमपुरा नं०–2 में मानक के अनुसार दवाइयां, कर्मचारी तथा चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने एवं कर्मचारी तथा चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पन्त हास्टल आदि में आरक्षित वर्ग/जाति के लिए आई०ए०एस० एवं पी०सी०एस० कोचिंग कार्यक्रम को वित्तीय सहायता की जानकारी

47–श्री आनन्द सेन तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पन्त हास्टल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा अन्य संस्थाओं में चल रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आई०ए०एस० एवं पी०सी०एस० कोचिंग कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी अभ्यर्थना की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

जी नहीं । पन्त हास्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आई०ए०एस० एवं पी०सी०एस० कोचिंग के संचालन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपेक्षित 10% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रदेश सरकार की अभी कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वस्त्र उद्योग की रुग्ण इकाइयों की संख्या तथा इनके पुनरुद्धार की योजना

48–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक कुल कितने वस्त्र उद्योग रुग्ण घोषित किये जा चुके हैं तथा इन रुग्ण इकाइयों से कितने लोग बेरोजगार हुये हैं ? क्या सरकार द्वारा रुग्ण वस्त्र उद्योगों के पुनरुद्धार की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत टैक्सटाइल–फेडरेशन समूह के नियंत्रणाधीन तीन कम्पनियां यथा उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, उ० प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि० एवं उ० प्र० स्टेट यार्न कम्पनी लि० है । इसके अलावा उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० है । ये तीनों ही कम्पनियां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा रुग्ण घोषित है, जिनके अधीन प्रदेश में स्थित कुल 10 कताई मिलों में से 6 मिलें बन्द हैं । उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ के अन्तर्गत कुल 11 कताई मिलें हैं जिनमें से 6 कताई मिलें विधिक रूप से बन्द हो चुकी हैं । शेष 5 मिलें भी घाटे में चल रही हैं । उपर्युक्त तीनों कम्पनियों और संघ की बन्द मिलों के कुल 9679 कर्मचारी बेरोजगार हुये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रुग्ण घोषित, रुग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित बीआईएफआर द्वारा किया जाता है और ऐसे रुग्ण घोषित औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन की कार्यवाही भी बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार की जाती है, जो प्रत्येक बीमार इकाई के लिए पृथक-पृथक होती है ।

जहां तक उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि०, जो बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार के बाहर है, मिलों के पुनरुद्धार का प्रश्न है, इन पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के योजित वाद संख्या–992 सन् 2000 में मा० उच्च न्यायालय मुम्बई के पारित आदेश दिनांक 3-12-2001 द्वारा रिसीवर नियुक्त हैं । फलतः ये मिलें रिसीवर के अधीन हो गयी हैं । दिनांक 3-12-2001 के प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध संघ की ओर से एक अपील प्रस्तुत की गयी है, जिस पर अंतिम निर्णय मा० उच्च न्यायालय, मुम्बई के समक्ष लम्बित है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

गोरखपुर प्रकरण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राम करन आर्य एवं समाजवादी पार्टी के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर से बोल रहे थे । मान्यवर, विधायक शारदा देवी को घायल कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है । वह सदन में भाग लेने के लिए आ रही थीं, [xxx] की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है उसकी गिरफ्तारी करायी जाय....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी की गिरफ्तारी के आदेश नहीं हो सकते हैं । आप बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं । अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

(घोर व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह सही है कि किसी की गिरफ्तारी के आदेश नहीं हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने मुझसे मांग की । मैंने कहा कि मैं किसी की गिरफ्तारी के लिये निर्देश नहीं दे सकता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बिल्कुल सही फरमान है । आज स्थिति बिल्कुल अलग है एक व्यक्ति आतंकवादियों जैसी कार्यवाही करा रहा है, टैरोरिस्ट की कार्यवाही कर रहा है, इस सदन की महिला सदस्या की गिरफ्तारी की जाती है, उनको चोटें आयी हैं, जख्म हैं, अस्पताल में है और वह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, जो व्यक्ति आतंकवाद और साम्प्रदायिकता फैलाने वाला है वह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है ।

(घोर व्यवधान)

मैं आतंकवादी का नाम ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं एक आतंकवादी का नाम ले रहा हूं, एक टैरोरिस्ट का नाम ले रहा हूं, एक अपराधी का नाम ले रहा हूं । उसको गिरफ्तार किया जाय पोटा के तहत । मैं उनका नाम ले रहा हूं । [xxx]

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो उधर के माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं । यदि आप चाहते हैं तो आज बजट के बाद इस पर चर्चा करा लीजिये । उधर के भी गोरखपुर के माननीय सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री मोहम्द आजम खां–

मान्यवर, आपको उनका नहीं हमारा संरक्षण करना चाहिए । उनका संरक्षण तो सरकार कर ही रही है ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार का तो पक्ष आ जाने दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वहां पर जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि को अपमानित किया । उनको मारा-पीटा गया और वह घायल हो गयीं हैं उनको गिरफ्तार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप यदि सरकार का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सदन की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजे अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

शान्त रहिये । कृपया शान्त रह कर बात करिये । कृपया अपना स्थान लीजिये ।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य निरन्तर नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान होने के कारण 1 बजकर 4 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन में घोर व्यवधान)

(इसी मध्य श्री उदयराज, श्री राम करन आर्य सहित समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें । सदन की कार्यवाही को संचालित होने दें । कृपया सदन को व्यवस्थित करने हेतु अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें । अगर आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते तो मैं कार्य-सूची की मदों को प्रारम्भ करुंगा । कृपा करके अपना-अपना आसन ग्रहण कर लें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं लेता हूं ।

आज दिनांक 21 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । यह पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

ग्राम गुलड़िया भूपसिंह स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (शाहजहांपुर) की शाखा को यथावत् बनाये रखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० विनोद तिवारी–

[महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जानकारी सदन में लाना चाहता हूं । जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांवों में शाहजहांपुर का ग्राम–गुलड़िया भूपसिंह ब्लाक बण्डा भी जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में सम्मिलित था ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ग्राम गुलड़िया भूपसिंह स्थित शाखा क्षेत्र ग्रामीण बैंक जिसका रजिस्ट्रेशन गुलड़िया के नाम से ही था, को भी पूरनपुर तहसील में स्थानान्तरित होना चाहिए था, किन्तु वहां के क्षेत्रीय प्रभावशाली राजनीतिक लोगों द्वारा उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का रजिस्ट्रेशन अधिसूचना जारी होने के उपरान्त निरस्त करवाकर ग्राम-पोहकरपुर निर्वाचन क्षेत्र पुवायाँ मे स्थानान्तरित करवा लिया गया है जिस कारण वहां के क्षेत्र वासियों को दैनिक लेन-देन, कर्ज व अन्य बैंक सम्बन्धी कार्यों में अनेक मुश्किलों का भयंकर सामना करना पड़ता है ।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त ग्राम गुलड़िया भूपसिंह के ग्रामीण बैंक का रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाते हुए तत्काल उसे गुलड़िया भूपसिंह में रजिस्ट्रेशन कायम रखते हुए जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में स्थानान्तरित करने की कृपा की जाय ।]

बदायूं जनपद के दातागंज थानान्तर्गत श्री राम सरन यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी न करके उलटे उनके परिवारजनों को मुल्जिम बनाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं अन्तर्गत थाना–दातागंज पर दिनांक 10/11/7-2002 को मुकदमा संख्या–261/02, धारा–308 दर्ज हुआ । जिसमें राम अवतार व नेकराम व खुशाल को मुल्जिम बनाया गया । राम सरन की हत्या होने के बाद राजनीतिक सांठ-गांठ से राम सरन के परिवार वालों के विरुद्ध दिनांक 11-7-2002 को 9 अभियोग दर्ज कराया गया । जो थाना–दातागंज में मुकदमा संख्या–261 ए, 261 बी, 261 सी, 261 डी, 261 ई, 261 एफ, 261 जी, 261 एच, 261 आई० धारा 395, 397, 326, 452, 436, 427 भा०दं०वि० आदि धाराओं में पंजीकृत फर्जी तौर कराया गया औ राजनीतिक दबाव के चलते मरने वाले राम सरन के परिवार वालों को गिरफ्तार भी किया गया औ वास्तविक मुल्जिम राम अवतार, नेकराम, खुशाली की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है । ईमानदार एस०एच०ओ० को हटा दिया गया, स्थानीय लोगों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने से रोष व्याप्त है और लोग आन्दोलित हैं और उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करते हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और सीधे जनता से जुड़ा है । अतः इस विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं तथा जांच सी०ओ० स्तर से करायी जाये ।]

महिला कल्याण विभाग में लिपिकीय सेवा नियमावली में मण्डल/जिला मुख्यालय की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महबूब अली–

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं । महिला कल्याण विभाग में लिपिकीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है जिसमें मण्डल जनपद मुख्यालय का एक ही संवर्ग किया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि उक्त विभाग द्वारा मण्डल/जिला मुख्यालय की कोई अभी तक वरिष्ठता सूची नहीं बनायी गयी है, क्योंकि निदेशालय में तैनात लिपिक कनिष्ठ हैं और जनपदों में वरिष्ठ हैं । ऐसे ही अनेक कनिष्ठों ने प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति भी प्राप्त कर ली है । यही कारण है कि निदेशालय से सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के बाद अभी तक किसी का स्थानान्तरण जनपदों में नहीं किया है, जबकि चार वर्ष पूर्व प्रख्यापित सेवा नियमावली होने के बाद निदेशालय से स्थानान्तरण जरूरी है, ताकि व्याप्त निदेशालय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

नगर पालिका परिषद् पुखरायां, जनपद कानपुर देहात द्वारा अपेक्षित टैक्स वसूल न कर पालिका परिषद् को धन हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा किशोर–

।महोदय, ज्ञातव्य है कि नगरपालिका परिषद्, पुखरायां, जनपद कानपुर देहात के कर निर्धारण रजिस्टर में मृतक राम किशोर निवासी मुहल्ला पटेल नगर के स्थान पर चि० मोहित कुमार का नामान्तरण न कर न्यायालय सिविल जज भोगनीपुर के आदेश व इसी मुहल्ले की कमला देवी क्रेतनी का नाम विक्रेताओं के स्थान पर न कर ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882 व म्युनिस्पैलिटी ऐक्ट, 1916 की धारा 147 का उल्लंघन वर्ष 1998 से अब तक किया जा रहा है जबकि वार्ड–2 इन्दिरा नगर निवासी श्री सरदार व वार्ड नं०–4 निवासी देवेन्द्र राही के नामान्तरण बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाये कर दिये गये हैं साथ ही नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की अवहेलना कर जलकल विभाग में श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सागर व श्री नूर मोहम्द पुत्र सुल्तान खां बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां कर नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की अवहेलना व नगर निवासी पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन किया गया है । अपेक्षित टैक्स वसूली न कराकर तहबाजारी के ठेके न उठाकर नगर पालिका परिषद् को कंगाल किया जा रहा है जिससे विकास कार्य ठप्प हो जाने से क्षेत्रीय जन-मानस में क्षोभ, रोष, कुण्ठा व उत्तेजना व्याप्त है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सरकार का ध्यान तत्काल आकृष्ट किये जाने की आवश्यकता है । ।

जनपद सिद्धार्थनगर के माली मेनहा तहसील डुमरियागंज तथा इटवा तहसील के ग्राम सिघरा गांव को राप्ती नदी के भीषण कटान से बचाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कमाल यूसुफ मलिक–

। मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज के ग्राम–मैनहा तथा इटावा तहसील के ग्राम तिघरा गांव राप्ती नदी के जबरदस्त कटान पर है । राप्ती नदी गांव के क्रमशः 100 तथा 50 मीटर तक काट करके आ चुकी है और इस समय तेज रफ्तार से कटान जारी है । आम जनता में इस कटान से भय व आतंक व्याप्त है । यदि इस कटान को रोकने के लिए तत्काल कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो उक्त दोनों ग्राम राप्ती नदी में विलीन हो जायेगा और हजारों मकान भी कट कर नदी में मिल जायेंगे । उपरोक्त ग्राम की आबादी 10 हजार की है इसलिए व्यापक जनहित का प्रकरण है । अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त गांवो को भारी तबाही से बचाया जा सके । ।

तुलसी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अयोध्या जनपद फैजाबाद में शिक्षिकाओं को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जनवरी 2002 से वेतनमान दिये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० वकार अहमद शाह–

। मान्यवर, तुलसी राजकीय बालिका इण्टर कालेज अयोध्या जनपद फैजाबाद में शिक्षिकाओं का वेतनमान, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जनवरी, 2002 से दिया जाना चाहिए । इस हेतु उक्त मद का बजट भी मार्च, 2002 में वापस भी कर दिया गया । वेतनमान न लागू किये जाने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिए अधिकारी ही दोषी हैं । वेतनमान न लागू होने से कालेज की शिक्षिकाओं में निराशा व्याप्त है । वेतनमान न लागू किये जाने और इसके लिए निर्धारित धनराशि को वापस कर देने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और शिक्षिकाओं को तत्काल पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिये जाने की व्यवस्था करना आवश्यक है । अतः इस विषय को सदन में उपस्थित करते हुए सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सुचारु पेयजलापूर्ति हेतु 3 ट्यूबवेल को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[महोदय, वाराणसी में मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का घोर कष्ट है और उसके निदान के लिए विशेष करके घनी आबादी वाले पक्के मुहल्लों के अन्तर्गत गोला दीनानाथ मोहल्ले में, राज मंदिर क्षेत्र में तथा गढ़वासी टोला क्षेत्र में कई महीने पूर्व मिनी ट्यूबवेल की बोरिंग करायी गयी है और विद्युत विभाग को आवश्यक लाइन खींचने एवं ट्रांसफार्मर लगाये जाने के लिए मांगी गयी आवश्यक धनराशि का भुगतान भी वाराणसी जल संस्थान विभाग तथा हुडा द्वारा कराये जाने के बावजूद क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता एवं उप खण्ड अधिकारी की लापरवाही एवं कार्य के प्रति रुचि न लेने के कारण न तो ट्यूबवेलों के संचालन के लिए बिजली की लाइन खींची गयी और न ही ट्रांसफार्मर लगाया गया जिससे क्षेत्र में लोगों को पेयजल के लिए घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है । पेय जलापूर्ति सुचारु किये जाने के लिए तत्काल उपरोक्त तीनों ट्यूबवेल को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ ही चालू किया जाना लोकमहत्व की दृष्टि से अत्यावश्यक है । साथ ही घोर लापरवाही एवं संवेदनहीनता के लिए दोषी क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता तथा उप खण्ड अधिकारी को दण्डित किया जाना भी अनुशासन की दृष्टि से आवश्यक है । अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व की ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा मैं शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त तीनों ट्यूबवेलों को चालू किये जाने हेतु बिजली की लाइन खींचने व ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु एवं लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किये जाने के लिए समुचित प्रभावी निर्देश दिया जाय ।]

(सदन के फ्लोर पर समाजवादी पार्टी के कई सदस्य नारे लगाने लगे पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी–गोली की यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21-8-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल की–सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन कराये जाने तथा दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्य दिवसों के लिए सत्र बुलाये जाने के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह, स्वामी ओइमूवेश व डा० अजय कुमार की है–पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा न किये जाने के संबंध में ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की माननीय विधायकों की संस्तुति पर लगने वाले इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों के सबंध में ।

चौथी सूचना श्री डा० विनोद तिवारी की जनपद शाहजहांपुर के ५५ ग्रामों को जनपद पीलीभीत में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में ।

पांचवी सूचना श्री बीजू पटनायक की है । छठीं सूचना श्री दिनेश सिंह व श्री श्याम नारायण की है । सातवीं सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी, श्री चिरतरंजन स्वरूप, श्री शिव कुमार बेरिया व श्री राकेश सचान की हैं । आठवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव व श्री उदय राज की है । नवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है ।

(सूचनाकर्ता सदस्यों का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा सूचनाओं पर बोलने के लिये खड़े न होने पर)

इन सूचनाओं को मैं निरस्त करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

श्री कमाल यूसुफ मलिक याचिका प्रस्तुत करें ।

वह याचिका नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं मद संख्या–5 ले रहा हूं । श्री विशम्भर प्रसाद निषाद याचिका प्रस्तुत करें । वह याचिका नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं ।

(वेल में आये हुए विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा) श्री कौशल किशोर जी याचिका प्रस्तुत करें । वह याचिका नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं । मद संख्या–7, 8 एवं ९ में कुछ नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष तीन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री राम किशुन जी की है । उत्तर प्रदेश में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों के चलते जनता में असुरक्षा की भावना तथा आये दिन बड़े पैमाने पर हो रही हिंसक गतिविधियों के संबंध में है ।

(श्री राम किशुन का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(श्री संजय गर्ग का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

तीसरी सूचना श्री शिव कुमार बेरिया की प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में जुगाड़ नामक वाहनों को चलाये जाने से रोकने के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल एवं अन्य की अलीगढ़ में कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार एवं अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(उक्त सूचनाकर्त्ता सदस्यों का नाम पुकारे जाने तथा उनके द्वारा सूचनाओं पर बोलने के लिये खड़े न होने पर)

मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–11 (1)–

* लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,36,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे ?

(कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती नहीं प्रस्तुत कर रहे है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,36,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

*परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,99,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत करेंगे ?

(कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,99,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,89,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत करेंगे ?

(किसी सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती नहीं रख रहे हैं, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,89,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 99,40,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे ?

(किसी सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती नहीं रख रहे हैं, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 99,40,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,53,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती रखें ।

(किसी सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती नहीं रख रहे हैं, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,53,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,42,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत करेंगे ?

(किसी सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,42,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी)

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे ?

(किसी सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

मैं अगली मद ले रहा हूं।

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाय।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1910 की धारा 2 का संशोधन

2–भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(गग) 'अनुबंधित भार' का तात्पर्य भार की उस मात्रा से है जिसके लिये उपभोक्ता ने प्रदायकर्ता के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया हो या ऊर्जा के उपभोग के लिये घोषणा की हो, और जहां ऐसा कोई अनुबन्ध निष्पादित न किया गया हो, वहां प्रदायकर्ता द्वारा उसे स्वीकृत किये गये भार से है,"

(ख) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(डड) 'प्रदायकर्ता' का तात्पर्य किसी लाइसेंसी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, सरकार या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जनता को ऊर्जा का प्रदाय किये जाने के कारबार में लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि भी है ।"

धारा 39 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 39 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जावेगी, अर्थात्

"(1) जो कोई किसी एक दर सूची के अनुसार प्रदाय की गयी किसी ऊर्जा, का प्रयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करता है जिसके लिये उच्चतर टैरिफ लागू है,

या

(क) धारा 26 में निर्दिष्ट मीटर के माध्यम से अन्यथा

या

(ख) ऐसे मीटर या उसकी सील या यंत्र या सर्किट में हेर-फेर करके, या

(ग) ऐसे मीटर की क्रिया में बाधा डालकर या हस्तक्षेप करके, या

(घ) विद्युत प्रदाय लाइन के फेज को छल साधन द्वारा परिवर्तित करके, या

(ङ) धारा 26 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी मीटर, सूचक या यंत्र में छल-साधन द्वारा, या

(च) किसी वियोजित संयोजन से, या

(छ) किसी भी अन्य उपाय से,

ऊर्जा को बेईमानी से निकालता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है या लेता है या इस प्रकार बेईमानी से निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने

का प्रयत्न करता है, वह–

(एक) जहां 7.5 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो दो हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(दो) जहां 7.5 किलोवाट से अधिक किन्तु 20 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(तीन) जहां 20 किलोवाट से अधिक किन्तु 40 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो सात हजार पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, जुर्माने से जो पैंतीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगा,

(चार) जहां 40 किलोवाट से अधिक किन्तु 75 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये प्रयत्न किया गया हो, वहां जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा ;

(पांच) जहां 75 किलोवाट से अधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो, या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये प्रयत्न किया गया हो, वहां कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोष सिद्धि की दशा में, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।"

धारा 39–क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 39–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

दुष्प्रेरण

"39–क–जो कोई धारा 39 या धारा 39–ग के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है' वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिये उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण कोई व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 39 या 39–ग के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो–

(क) ऐसा अपराध करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है ; या

(ख) ऐसा अपराध किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ; या

(ग) प्रदायकर्ता का ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी होते हुए जिसे ऐसे अपराध को निवारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे अपराध को साशय या जानबूझकर निवारित नहीं करता है; या

(घ) ऐसा अपराध करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और ऐसा अपराध करने में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये । "

नई धाराओं 39–ख, 39–ग, 39–घ, 39–ङ, 39–च और 39–छ का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा-39–क के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

अपराधों का शमन

"39 –ख–इस अधिनियम के अधीन जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस निमित्त पावर कारपोरेशन द्वारा सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे शमन फीस की वसूली पर जैसा कि वह उचित समझे और जो उस अपराध के लिये नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो, शमन किया जा सकता है ।

39–ग–अनाचार जो कोई–

(क) किसी ऊर्जा के विषय में ऐसा व्यवहार करता है या किसी उपकरण का इस ढंग से प्रयोग करता है जिससे प्रदायकर्ता द्वारा किये जा रहे विद्युत के सफल प्रदाय में असम्यक या अनुचित रूप से बाधा पहुंचे ;

(ख) प्रदायकर्ता की विशिष्ट अनुमति के बिना अनुबंधित भार से अधिक भार अपने परिसर में जोड़ता है :

प्रतिबंध यह है कि यह खण्ड किसी ऐसे उपभोक्ता पर लागू नहीं होगा, जिसने,–

(एक) दस किलोवाट तक अनुबंधित भार ले रखा हो ; या

(दो) अनुबंधित भार से पच्चीस प्रतिशत तक अधिक भार लगा रखा हो, यदि अनुबंधित भार दस किलोवाट से अधिक हो ;

(ग) ऊर्जा की बिक्री के आशय के बिना किसी अन्य परिसर को ऊर्जा का प्रदाय करता है ; या

(घ) प्रदायकर्ता का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी होते हुए जिसे,

(एक) किसी उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये मीटर की मीटर रीडिंग को अभिलिखित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे मीटर रीडिंग को साशय या जानबूझकर अभिलिखित नहीं करता है ; या

(दो) किसी उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये मीटर को जो दोषपूर्ण है बदलने का कर्तव्य सौंपा गया है, प्रदायकर्ता को अर्थिक हानि पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे दोषपूर्ण मीटर को साशय या जानबूझकर नहीं बदलता है ; या

(तीन) उपभोक्ता द्वारा देय ऊर्जा प्रभार के बिल को तैयार करने का कर्तव्य सौंपा गया है, प्रदायकर्ता को अनुचित हानि या उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये साशय या जानबूझकर कर त्रुटिपूर्ण बिल बनाता है ; या

(चार) उपभोक्ता ऊर्जा प्रभार का बिल प्रदत्त करने का कर्तव्य सौंपा गया है, उपभोक्ता को ऐसा बिल साशय या जानबूझकर प्रदत्त नहीं करता है ; या

(पांच) उपभोक्ता से ऊर्जा प्रभार की वसूली का कर्तव्य सौंपा गया है, उपभोक्ता से ऐसे प्रभार की वसूली करने में साशय या जानबूझकर विलम्ब करता है ; अनाचार करता है ।

अनाचार के लिये शास्ति

39–घ–जो कोई अनाचार करता है उसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

विद्युत निरीक्षक की शक्तियों पर निबंधन

39–ङ–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी विद्युत निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन ऊर्जा की चोरी या अनाचार से संबंधित मामले के संबंध में कोई शक्ति नहीं होगी ।

39-च-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति

जहां जिला मजिस्ट्रेट को धारा 39 या धारा 39-क या धारा 39-घ के अधीन किसी अपराध के लिये किये जाने की सूचना प्राप्त हो, वहां वह ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है, जैसा वह उचित समझे और अपने अधीनस्थ किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अपनी अधिकारिता के भीतर तैनात उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के किसी अधिशासी अभियन्ता को ऐसे अपराध का निवारण करने के लिये स्थल पर जाने और आवश्यक कदम उठाने के लिये प्रतिनियुक्ति कर सकता है ।

अभियोजन के लिये पूर्व मंजूरी

39-छ-कोई भी न्यायालय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसके ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था ।

(क) अवर अभियन्ता या उसके समकक्ष कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, संबंधित मण्डल के मुख्य अभियन्ता (वितरण),

(ख) किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उक्त कारपोरेशन की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने की अपेक्षा कर सकती है और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसी अवधि के भीतर पूर्व मंजूरी देने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी दी जा सकती है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में भी किया जा सकता है, जहां खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही पूर्व मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है ।"

धारा 48 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 48 में, शब्द और अंक "धारा 39 क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 39 क, धारा 39 ग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 49 ख का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 49-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय या अजमानतीय होना

"49-ख-(1) इस अधिनियम के अधीन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध और उसका दुष्प्रेरण संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय कोई अपराध और उसका दुष्प्रेरण संज्ञेय और जमानतीय होगा ।

तलाशी अभिग्रहण और निरीक्षण

49 ग (1) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी प्रदायकर्ता या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 39 या धारा 39 ग के अधीन कोई अपराध किसी परिसर, यान, जलयान या किसी अन्य स्थान में किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, वहां वह ऐसी सहायता से, जो अपेक्षित हो –

(क) ऐसे परिसर यान, जलयान या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है उसका निरीक्षण कर सकता है और तलाशी ले सकता है और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जो उस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) ऊर्जा की चोरी या अनाचार के किसी साधन का अभिग्रहण कर सकता है जो ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में पाया जाय,

(ग) उक्त अपराध के संबंध में ऐसे परिसर यान, जलयान या अन्य स्थान के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से किसी लेखाबही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है,

(घ) किसी लेखाबही या दस्तावेज का परीक्षण या अभिग्रहण कर सकता है जो उसकी राय में किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही के लिये उपयोगी या सुसंगत होगा और उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखाबही या दस्तावेज अभिग्रहीत किया जाये, अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर के निरीक्षण करने के दौरान यह पाया जाये कि अधिभोगी ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध किया है या अपराध करने का प्रयत्न किया है तो ऐसे परिसर को ऊर्जा का प्रदाय बिना किसी नोटिस के बन्द किया जा सकता है और परिसर का निरीक्षण करने वाला अधिकारी स्थल पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और जहां तक व्यवहार्य हो ऐसे निरीक्षण के समय उपस्थित अधिभोगी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उसे देगा और यदि वह उसे लेने से इनकार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी निरीक्षण रिपोर्ट, समस्त विधिक कार्यवाहियों में उसमें अभिलिखित तथ्यों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी ।"

निरसन और अपवाद

8–(1) भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 8, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित दो घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–15 को स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम सीतापुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गेहूं को पहुंचाने का कार्य बिना टेण्डर लिये कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ मण्डल के निर्माण के उपरान्त गोरखपुर में लम्बित मुकदमों को आजमगढ़ स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी का जनपद वाराणसी के दाल हट्टा मुहल्ले में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप को ठीक कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा० अशोक बाजपेयी, श्री चितरंजन स्वरूप तथा श्री शिव कुमार बेरिया की जनपद बाराबंकी में पुलिस की गोली से हुई किसान की मृत्यु के दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना डा० विनोद तिवारी की जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांवों को कर्मचारियों सहित पूरनपुर तहसील, जनपद पीलीभीत में स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव तथा श्री उदय राज की विधायक निधि स्वतंत्र रूप से विकास कार्यों में लगाए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सातवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की जनपद बलिया में नया ब्लाक भीमपुरा बनाये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

आठवीं सूचना श्री राकेश सचान की गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक, गाजियाबाद के सचिव द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

नवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की ।।वें वित्त आयोग की धनराशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य न कराकर नियम विरुद्ध निर्णय करके कार्य कराये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दसवीं सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के निराकरण के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

ग्यारहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लकड़ी की नक्काशी का कार्य करने वाले लाखों दस्तकारों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बारहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्रीमती अम्बेश कुमारी की जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द ग्राम मरौली के मजरा क्योटरा में केन नदी का गंदा पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तेरहवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के जहूराबाद के अन्तर्गत राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

चौदहवीं सूचना श्री शंखलाल मांझी की जनपद संत कबीरनगर के ग्राम मुखलिसपुर में कुआनो नदी पर बने पुल का पथकर समाप्त कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री बलराम यादव, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के वर्ष 1998-99 के बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियुक्ति न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सोलवीं सूचना श्री अरुणवीर सिंह तथा डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के फखरपुर में निर्माणाधीन मार्गों पर फर्जी लगाये गये बोर्डों को हटाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सत्रहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की राजकीय पुरुष चिकित्सालय शाहगंज, जनपद जौनपुर में तैनात डॉ० यशवन्त सिंह सर्जन द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

अट्ठारहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के तहसील गुन्नौर ब्लाक जुनावई के दस ग्रामों को भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए नगला अजमेरी से मालपुर ततेरा तक बांध या ठोकरें बनाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

उन्नीसवीं सूचना श्री रामविशुन आजाद की जनपद गोण्डा के देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत मनकापुर के ग्रामों में शेष बचे गांवों के विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बीसवीं सूचना श्री चितरंजन स्वरूप की जनपद मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म कालेज के प्रधानाचार्य पर गोली चलाये जाने एवं जनपद में व्याप्त अराजकता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

इक्कीसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की माननीय सदस्य को उनके निवास पाण्डुनगर, कानपुर में कुख्यात बावरिया गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बाइसवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद ज्योतिबा फुलेनगर अमरोहा क्षेत्र में पानी की निकासी न होने के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तेइसवीं सूचना श्री कैलाश यादव की जनपद गाजीपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि०, गाजीपुर द्वारा किसानों के लाखों रुपये का भुगतान न किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

चौबीसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने एवं उनको नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

पच्चीसवीं सूचना श्री उदयराज की प्रदेश के कई जनपदों में विद्युत तार की लगातार हो रही चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

छब्बीसवीं सूचना श्री बंशीधर राज की उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक एसोसियेशन द्वारा अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को अनौपचारिक शिक्षा विभाग में समायोजन न किये जाने को लेकर धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती आशा किशोर की, जनपद बांदा के टाउन एरिया मटौंद व तिंदवारी में रोड पर बैरियर लगाकर मनमानी जबरदस्ती अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम लाल अकेला की रायबरेली से हैदरगढ़ (बाराबंकी) मार्ग कि०मी० 13, 14, 15 व 16 अति जीर्ण शीर्ण होने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

उनतीसवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बी० एड० प्रवेश परीक्षा में बिना शामिल एक छात्रा को मेरिट लिस्ट में दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसवीं सूचना श्री घूरा राम की प्रदेश में एन० आर० पी० एवं जे० आर० वाई० के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखा लिपिकों, लिपिक कैशियर की नियुक्तियों से संबंधित ज्येष्ठता सूची विभाग द्वारा जारी कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :—

1–श्री राकेश सचान

2–श्री मदन गोपाल वर्मा

3–श्री जियाउद्दीन रिजवी

4–श्री कमाल यूसुफ मलिक

5–श्री कमलेश पासवान

6–श्री रामेश्वर सिंह यादव

7–श्री अम्बिका चौधरी

8–श्री बैजनाथ पासवान

9–श्री रामकरन आर्य

10–श्री रामजीत राजभर

11–श्री अब्दुल कलाम, श्री माता प्रसाद पाण्डेय

12–श्री जगन प्रसाद गर्ग

13–श्री सुरेश कुमार खन्ना

14–श्री सुन्दर लाल

15–श्री प्रेम सिंह दरोगा

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

17–श्री शारदानन्द अंचल

18–श्री कौशल किशोर

19–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

20–श्री छोटे लाल यादव

21–श्री अरुणवीर सिंह

22–डा० वकार अहमद शाह

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25 पर अंकित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से सभी वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।)

श्री गनी मोहम्मद एवं महमूद उर्फ भूरा के विरुद्ध पुलिस द्वारा राजनैतिक द्वेष के कारण उत्पीड़न के संबंध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[illegible]मा० सदस्य द्वारा दिनांक 14-8-2002 को मा० विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि उनके सगे भाई गनी मोहम्मद पर मई, 2002 में जानलेवा हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना–जजबरपुर, अमरोहा में करायी गयी।[illegible] विगत सप्ताह राजनीतिक द्वेष भावना से उसके दूसरे भाई महमूद उर्फ भूरा तथा भतीजे के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करके उसके परिवारजनों को तरह-तरह से

नोट :– [illegible] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परेशान किया जा रहा है ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है जिससे स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है ।

2––मा० विधायक के भाई गनी मोहम्मद पुत्र श्री वशीर अहमद, नि०–सकरपुर, थाना–रजबपुर, जनपद–जे० पी० नगर द्वारा दिनांक 16-4-2002 को थाना रजबपुर में यह सूचना दी गयी कि सन्तवीर पुत्र कुंवर सिंह, नि०–खजुरी, भुवनेश पुत्र खचेडू, नि०–बैरमपुर, दीपक पुत्र बिजेन्द्र सिंह, नि०–नगलियां व हरदीप पुत्र सतपाल सिंह, नि०–बैरमपुर, थाना गजरौला को लात घूसों से मारपीट कर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी गयी । इस संबंध में थाना–रजबपुर में सन्तवीर, भुवनेश, दीपक व हरदीप के विरुद्ध मु० अ० सं०–246/2002 धारा 323/506/307 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया ।

3––अभियोग की विवेचना थाना–रजबपुर के उप निरीक्षक श्री राजावत्स द्वारा की गयी । विवेचना में अभियुक्त भुवनेश व हरदीप को लिप्त होना नहीं पाया गया । परन्तु विवेचना में दो अन्य अभियुक्त मुनेश पुत्र खचेडू नि०–बैरमपुर व कुशल पुत्र श्योदान सिंह नि०–नगलियां, थाना–गजरौला प्रकाश में आये ।

अभियुक्त दीपक व कुशल को दिनांक 30-4-2002 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं सन्तवीर व मुनेश ने दि० 3-5-2002 को मा० न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त आरोप–पत्र सं०–74. दिनांक 9-5-2002 को प्रेषित किया गया ।

4––श्री राजेश कुमार पुत्र शीशराम नि०–ग्राम अकबरपुर, थाना–चांदपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा यह शिकायत की गयी कि दि० 18-6-2002 को प्रातः 11.00 बजे चांदपुर से सफेद मिट्टी के तेल का टैंकर लेकर मुरादाबाद जाने के रास्ते में थाना–रजबपुर से लगभग डेढ़ किमी० पीछे महमूद उर्फ भूरा (मा० विधायक का भाई) व जुल्फिकार (मा० विधायक का भतीजा) तथा 5-6 अन्य व्यक्तियों द्वारा टैंकर रुकवा कर टैंकर को जबरदस्ती अपने सद्भावना ढाबे पर ले जाकर उसको तथा उसके परिचालक को बंद कर टैंकर भरे तेल में केमिकल मिलाकर थाना रजबपुर में पंजीकृत मु० अ० सं०–529/2002 धारा 417/420/285/286/ 279 भा० दं० वि० व 23 पेट्रोल अधिनियम में फर्जी फंसा दिया गया है ।

उक्त शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी, हसनपुर, जनपद–जे० पी० नगर द्वारा की गयी । जांच में पाया गया कि थाना–रजबपुर के उप निरीक्षक श्री राजावत्स तथा आरक्षीगणों द्वारा अतरासी चौराहे पर दि० 18-6-2002 को वाहन चेकिंग के दौरान श्री राजेश कुमार को मिट्टी के तेल/अप मिश्रित डीजल को टैंकर सहित जिला पूर्ति अधिकारी तथा उनके कर्मचारियों के साथ पकड़ा था । जांच में क्षेत्राधिकारी द्वारा महमूद, जुल्फिकार अली, थानाध्यक्ष रजबपुर, उप निरीक्षक श्री राजावत्स व राजेश कुमार तथा परिचालक भरत राम के बयान लिये गये । जांच में राजेश कुमार द्वारा की गयी शिकायतों के परिपेक्ष्य में महमूद के मोबाईल फोन पर उसके सद्भावना ढाबे से श्री राजावत्स उप निरीक्षक से वार्ता होना पाया गया है, जिसके आधार पर शिकायतों को प्रथम दृष्टया फर्जी नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजेश कुमार, टैंकर चालक/मालिक द्वारा उक्त शिकायतों के परिपेक्ष्य में महमूद उर्फ भूरा व जुल्फिकार तथा 5-6 अन्य व्यक्ति नि०–सद्भावना ढाबा के विरुद्ध थाना–रजबपुर में दि० 9-8-2002 को मु० अ० सं०–530/02 धारा 147/323/342/427 /506 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया है । जुल्फिकार अली को दि० 12-8-2002 को गिरफ्तार कर लिया गया है । प्रकरण के संबंध में थाना–रजबपुर पर पंजीकृत मु० अ० सं०–529/2002 तथा 530/2002 की विवेचना उप निरीक्षक श्री के० सी० शर्मा द्वारा की जा रही है ।

प्रकरण के संबंध में क्षेत्र की जनता में आक्रोश होने पर बताया गया है कि उक्त मु० अ० सं०–530/02 में अभियुक्त जुल्फिकार अली की गिरफ्तारी के विरोध में दि० 14-8-02 को अभियुक्त के लगभग 150 समर्थकों द्वारा पैठ कस्बा बाजार में धरना दिया गया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का प्रयास किया गया। प्रशासन/पुलिस के अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच कर अभियोग में निष्पक्ष विवेचना कराये जाने का आश्वासन दिये जाने के उपरान्त धरना समाप्त हो गया था।]

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में बिना टेण्डर के ठेके दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[नोयडा प्राधिकरण के निर्णय एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बाहरी एजेंसियों को कार्य दिये गये हैं। यह वाह्य एजेंसियां उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश निर्माण निगम आदि हैं, जो सरकारी उपक्रम हैं। नोएडा प्राधिकरण में कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए जुलाई, 2002 में उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कुछ निर्माण कार्य दिये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा यह कार्य सरकारी उपक्रमों को आवंटित किये गये हैं न कि ठेके पर दिये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा सीधे कोई ठेका नहीं दिया गया है। अतएव प्राधिकरण स्तर पर ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर पूर्व नियत ठेकेदारों अथवा अपनी सेटिंग के ठेकेदारों से किसी प्रकार की रिश्वत लेकर ठेकों के बन्दरबांट का प्रश्न नहीं उठता है। शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत ही निर्माण एजेंसियों को अग्रिम धनराशि एम० ओ० यू० की शर्तों के अनुसार दी जाती है। यह अग्रिम सरकारी कार्यदायी एजेंसियों को दिया जाता है न कि किसी ठेकेदार को। अतएव सरकारी कार्यदायी संस्था से किसी प्रकार का अनुचित लाभ लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता और इस कारण किसी ठेकेदार पर प्राधिकरण द्वारा विशेष मेहरबानी कर उसे विशेष सुविधा प्रदान करने का भी प्रश्न नहीं उठता है। गत तीन वर्षों में नोएडा प्राधिकरण द्वारा सरकारी वाह्य एजेंसियों को आवंटित निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कार्यदायी वाह्य संस्था का नाम	आवंटित कार्य की धनराशि (करोड़ में)	टिप्पणी
1	2	3	4
2000–2001	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी एन० बी० सी० सी०	95.09	
2001-2002	—	—	
2002-2003	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	35.81	एक आगणन स्वीकृति में
	उत्तर प्रदेश जल निगम	43.22	दो कार्य छोड़कर शेष के आगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा माह जुलाई, 2002 में उत्तर प्रदेश जल निगम को दो कार्य पी० एम० सी० के अन्तर्गत दिये गये थे । जिसमें एक नालेज पार्क फेज–3 के वाह्य विद्युतीकरण का 0.700 लाख के अनुमानित लागत का कार्य है तथा दूसरा सेक्टर वाई 1/2 पार्ट–3 के आन्तरिक विकास का अनुमानित रु० 600 लाख लागत का कार्य है । जुलाई, 2002 में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कोई कार्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है । पी० एम० सी० के अन्तर्गत संबंधित वाह्य एजेंसी द्वारा तैयार किये गये आगणन की स्वीकृति नियमानुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जाती है । प्री-क्वालिफिकेशन में जो ठेकेदार अनुमोदित होते हैं, उनके ही टेण्डर खोले जाते हैं तथा न्यूनतम टेण्डर दर पर स्वीकृति हेतु संस्तुति, वाह्य एजेंसी की समिति द्वारा की जाती है जिसका परीक्षण प्राधिकरण की निविदा समिति द्वारा किया जाता है । निविदा की दरें उचित पाये जाने पर प्राधिकरण की निविदा समिति की अनुशंसा उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके संबंधित वाह्य एजेंसी को सूचना दी जाती है । प्राधिकरण द्वारा 8 से 10 प्रतिशत तक अधिक दरें नहीं स्वीकृत की जा रही हैं । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा वाह्य एजेंसी जल निगम को दिये गये कार्यों में प्राधिकरण के पूर्व स्वीकृत नियमों में कोई शिथिलता नहीं दी गयी है । चूंकि वाह्य एजेंसी ने कोई टेण्डर नहीं किये हैं इसलिए सब कान्ट्रेक्ट देने एवं कार्य को दुगने दरों पर आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।]

उ० प्र० में अंशकालीन नलकूप चालक के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित न किये जाने के संबंध में श्री उदय राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[सिंचाई विभाग में स्थापित राजकीय नलकूपों के संचालन हेतु नियमित नलकूप चालकों के अतिरिक्त अल्पावधिक कार्यों हेतु अंशकालीन नलकूप चालकों को भी नियुक्त किया गया था, जिन्हें मानदेय के रूप में निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाता था । इन अंशकालीन नलकूप चालकों द्वारा नियमित नलकूप चालकों के समान वेतन व अन्य सेवा लाभों को स्वीकृत कराने हेतु अनेक रिट याचिकायें मा० उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयीं । मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.5.94 के माध्यम से सभी रिट याचिकायें वंच के रूप में निर्णीत करते हुए यह आदेश पारित किये गये कि याचीगण अंशकालीन नलकूप चालकों को नियमित चालकों के समान परिलब्धियों का भुगतान किया जाय । मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुज्ञा याचिकायें खारिज हो जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुपालन में अंशकालीन नलकूप चालकों को नियमित नलकूप चालकों के समान परिलब्धियां भुगतान करने के आदेश निर्गत किये गये । तद्समय यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होने के कारण निर्गत किये गये ।

नोट :– [[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16-12-1996 द्वारा उ० प्र० सिंचाई विभाग नलकूप चालकों के पदों पर अंशकालीन नलकूप चालकों का विनियमितीकरण नियमावली–1996 प्रख्यापित की गयी जिसमें नियम–4 में यह प्राविधान किया गया कि एक अक्टूबर, 1986 के पूर्व नियुक्त ऐसे अंशकालीन नलकूप चालक जो विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे । नियमावली के नियम–7 में यह भी प्राविधान है कि ऐसे नलकूप चालक जो नियम–4 के अन्तर्गत विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त न हों उन्हें निर्धारित वेतन/प्रतिकर का भुगतान कर उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायें । राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमावली के नियम 4 के प्राविधान के तहत पात्र अंशकालीन नलकूप चालकों का विनियमितीकरण कर दिया है । विनियमितीकरण नियमावली के नियम–7 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसर है ।

मृतक आश्रित सेवायोजन, पेंशन, जी० पी० एफ० एवं अन्य लाभ नियमित नलकूप चालकों को ही अनुमन्य हैं । चूंकि अंशकालीन नलकूप चालक नियमित कार्मिक नहीं होते हैं, अतः उन्हें उक्त लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं है । |

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम में बार-बार परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)-

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

| माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों में जो संशोधन/परिवर्द्धन किया जाता है वह आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए किये जाते हैं । यह अनवरत प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है । पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार संशोधन, परिवर्द्धन किये जाने के पूर्व प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों,शिक्षकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों एवं मनोवैज्ञानिकों आदि की कार्यशाला आयोजित की जाती है । इन कार्यशालाओं में प्रदेश के शोध संस्थानों यथा राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आदि के विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है । कार्यशालाओं में उपर्युक्त के साथ-साथ हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट छात्र/छात्राओं को भी आमंत्रित कर पाठ्यक्रमों के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है । शैक्षिक गोष्ठियों/कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श के पश्चात् प्राप्त संस्तुतियों को परिषद् की विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है । ज्ञातव्य है कि परिषद् की पाठ्यक्रम समितियों में शिक्षा से संबंधित लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान होते हैं । पाठ्यक्रम समितियों से प्राप्त संस्तुतियों को पाठ्यचर्या समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है । पाठ्यचर्चा समिति से प्राप्त संस्तुतियों को परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात् परिषद् द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित पाठ्यक्रम को प्रकाशन परिषद् विनियमों के अध्याय-पांच के विनियम–5 के प्राविधानानुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट भाग –4 में प्रकाशित कराया जाता है ।

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उदाहरणस्वरूप कक्षा–9 (2002) कक्षा–10 (2003) तथा इण्टरमीडियेट परीक्षा वर्ष 2003 के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन संबंधी विज्ञप्ति संख्या--परिषद् 9/632 दिनांक 26-12-2000 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु दिनांक 13 जनवरी, 2001 के राजकीय गजट भाग–4 में प्रकाशित किया गया है तथा उसकी प्रति प्रदेश के सभी विद्यालयों को प्रेषित किया गया है ।

परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों में जो भी परिवर्तन किये जाते हैं, वह छात्रों की अभिरुचि एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं । परिषद् द्वारा इन परिवर्तनों की सूचना प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व दे दी जाती है । अतः इसमें किसी के नुकसान की कोई सम्भावना नहीं है ।

शैक्षिक सत्र 2002-2003 के लिये शासनादेश संख्या 5376. 15-7-99 (34)/98. दिनांक 15-2-2000 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–9 की 20. कक्षा–10 की 18 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान एवम् इण्टरमीडियेट की 17 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र) कुल 55 पाठ्यपुस्तकों के लेखन/प्रकाशन का कार्य नियमानुसार निजी प्रकाशकों से कराया गया है ।

आदर्श प्रतियों के सापेक्ष्य इन पाठ्यपुस्तकों का मूल्य निर्धारण शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया गया है तथा इसे शासन के अनुमोदनार्थ परिषद् कार्यालय द्वारा भेजा गया किन्तु इण्टरमीडियेट अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में कोई अर्ह प्रकाशक उपलब्ध न होने के कारण उक्त विषय की दोनों पाठ्यपुस्तकों का मूल्य शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि पाठ्यपुस्तकों का मूल्य निर्धारण चतुर्वेदी फार्मूले के अनुसार किया जाता है चूंकि इस समय कागज के मूल्य प्रति मी० टन रु० 345.80 की कमी हो गयी थी इस कारण पाठ्यपुस्तकों के अधिकतम विक्रय मूल्य में भी कमी हो गयी ।

परिषद् कार्यालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अधिकतम विक्रय मूल्य की सूचना संबंधित अधिकृत प्रकाशकों को उपलब्ध करा दी गयी और समस्त प्रकाशकों द्वारा समय से पुस्तकें छात्रों के क्रयार्थ बाजार में फुटकर विक्रेताओं के यहां उपलब्ध कर दी गयी । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की पुस्तकों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित हो गयीं ।

अच्छी गुणवत्ता एवं अधिकृत प्रकाशकों की सूची दैनिक समाचार-पत्रों में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयीं तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को पाठ्यपुस्तकों की अधिकतम विक्रय मूल्य की सूची भेजते हुये खुले बाजार में अच्छी गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया । शासन स्तर से भी इसी संबंध में एक परिपत्र निर्गत किया जा चुका है ।

सूच्य है कि पूर्व में जिन विषयों (हाईस्कूल–हिन्दी, गणित, प्रारम्भिक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, इण्टरमीडिएट-हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र) की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें भी वर्तमान में मूल्य नियंत्रण हेतु उन्हीं विषयों की कक्षा–9, 10 एवं इण्टरमीडियेट की पाठ्यपुस्तकों का

लेखन/मुद्रण व प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निजी प्रकाशकों के माध्यम से कराया जा रहा है शेष समस्त विषयों की पाठ्यपुस्तकों का लेखन/मुद्रण व प्रकाशन परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निजी प्रकाशकों द्वारा किया जा रहा है ।

किसी जनपद से पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता की शिकायत शासन/परिषद् कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है ।]

जनपद लखीमपुर में अत्यधिक ध्वस्त हो चुके अमृतागंज मार्ग की मरम्मत किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर, द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद लखीमपुर-खीरी में पीलीभीत-बस्ती, राज्य मार्ग–26 के कि०मी० 142 में दायीं ओर से रामापुर होकर अमृतगंज-देवरिया तक 10 कि०मी० लम्बा मार्ग है । रामापुर से अमृतगंज तक 7.95 कि०मी० लम्बाई का लेपित ग्रामीण मार्ग है जो कि लोक निर्माण विभाग का है । शेष मार्ग लगभग 2.00 कि०मी० लम्बाई में अमृतगंज–देवरिया तक ईंटों का खड़ंजा है व अन्य विभाग का है । यह मार्ग शारदा मुख्य नहर की लेपित पटरी पर मिलता है, इसी जंक्शन के पास अमृतगंज स्थित है । इस 7.95 कि०मी० लम्बे लेपित मार्ग का निर्माण चार भागों में विभिन्न योजनाओं में हुआ है ।

1–चैनेज 0.00 से 4.00	वर्ष 1998-99
2–चैनेज 4.00 से 4.55	वर्ष 1994-95
3–चैनेज 4.55 से 6.15	वर्ष 1998-99
4–चैनेज 6.15 से 7.95	वर्ष 1998 से 3/2001 तक

मार्ग रेतीली भूमि में होने व गन्ने के सीजन में भारी यातायात के आवागमन के कारण चैनेज 0.00 से 4.55 में कहीं-कहीं पैच हो गये हैं व किनारे टूट गये हैं जिन्हें सामान्य मरम्मत की उपलब्ध धनराशि से ठीक कराया जा रहा है ।

चैनेज 4.55 से 6.15 तक का भाग सामान्यतः ठीक है ।

चैनेज 6.15 से 7.95 तक का 1.80 कि०मी० लम्बाई के भाग का निर्माण, विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है, निम्न स्तर का हुआ है । इस संबंध में जांच आदेश दिनांक 7-6-2002 को हुए हैं और जांच कार्य प्रगति में है और शीघ्र ही जांच कार्य पूरा कर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । इस भाग की मरम्मत में लगभग 8.65 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

नोट :–[.] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम श्यामनगर अच्छेजा के दलित एवं गरीब किसानों की भूमि को जबरन हड़पने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु परगना व तहसील–हापुड़, जिला–गाजियाबाद के ग्राम–अच्छेजा की 26.557 हेक्टेयर तथा ग्राम श्यामनगर की 25.2455 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की अधिसूचना संख्या–67/9-आ–3-99-155–एल०ए०/97. दिनांक 17-08-99 उ० प्र० शासन आवास अनुभाग–3 द्वारा जारी की गयी धारा–6(1)/17. दिनांक 18-07-2000 को जारी हुई ।

भू-अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अर्जन निकाय (हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण) एवं प्रभावित कृषकों के मध्य अर्जित की जा रही भूमि को उत्तर प्रदेश भू-अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत समझौते के आधार पर प्रतिकर की दर तय करने हेतु अनेक बैठकें आयोजित की गयीं । अंतिम बैठक दिनांक 19-01-2002 में ग्राम अच्छेजा के कृषकों के साथ अर्जन निकाय का समझौता प्रतिकर की दर नियत करने के संबंध में हुआ । जिसके अनुसार ग्राम अच्छेजा की अर्जनाधीन भूमि का प्रतिकर रुपये 205/- प्रति वर्ग मीटर जिसमें 30% सोलेशियम, 12% अतिरिक्त प्रतिकर एवं ब्याज की समस्त धनराशि शामिल है । की दर पर दिये जाने की सहमति हुई ।

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12-08-02 में उक्त दर पर हुये समझौते का अनुमोदन प्रदान किया गया । आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा दिनांक 12-08-02 को उक्त समझौते के अनुरूप ग्राम–अच्छेजा की अर्जनाधीन भूमि का अभिनिर्णय करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत रुपये 205/- प्रति वर्ग मीटर की प्रतिकर दर के आधार पर पारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इसका अभिनिर्णय दिनांक 14-08-2002 को घोषित किया गया ।

तहसील कार्यालय में उपलब्ध भू-दान की उठायी गयी भूमि के रजिस्टर के आधार पर ग्राम अच्छेजा में एक व्यक्ति को 0.126 है० व ग्राम श्यामनगर में 24 व्यक्तियों को कुल क्षेत्रफल 13.624 है० (53-17-0 बीघा) भू-दान की भूमि आवंटित होना पाया जाता है । जिल्द बन्दोबस्त सी० एच०–41 व 45 में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता । यही नहीं मूल रूप में जो खसरा नम्बरान आवंटित किये गये हैं । चकबन्दी के दौरान उक्त नम्बरान के स्थान पर अन्य नम्बरान स्थापित हो गये हैं और मूल आवंटियों के नाम भी जिल्द में नहीं पाये जाते हैं । ऐसी स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भू-दान में आवंटित कौन-कौन सी भूमि अर्जित की जानी प्रस्तावित है ।

ग्राम श्यामनगर की अर्जनाधीन कुल 25.2455 हेक्टेयर भूमि में से 3.716 हैक्टेयर भूमि के कृषक अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी संख्या–36 है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ग्राम–अच्छेजा तथा श्यामनगर की अधिसूचित भूमि का कब्जा दिनांक 14-08-2002 को अर्जन निकाय को हस्तगत किया जा चुका है । ग्राम श्यामनगर की अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर समझौते के आधार पर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अर्जन निकाय एवं प्रभावित कृषकों के बीच कई बार वार्तायें हुयीं । अन्तिम वार्ता दिनांक 14-08-02 को हुई परन्तु उभय पक्षों के बीच किसी दर पर सहमति नहीं बनी ।

ग्राम–अच्छेजा एवं श्यामनगर की उपरोक्त वर्णित अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि यद्यपि एक-दूसरे की सीमावर्ती है तथा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की एक ही आवासीय योजना हेतु अर्जित की जा रही तैथापि ग्राम–अच्छेजा नगरपालिका हापुड़ की सीमा के अन्तर्गत आता है जबकि ग्राम–श्यामनगर नगरपालिका हापुड़ की सीमा से बाहर है । दोनों ग्रामों का अर्जित किया जा रहा समस्त क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजमार्ग–24 (हापुड़ गाजियाबाद मार्ग) एवं हापुड़ गाजियाबाद रेलवे लाइन के मध्य में पड़ता है । ग्राम अच्छेजा की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–24 से मिली हुई है । जबकि ग्राम श्यामनगर की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–24 से कुछ दूरी लिये हुये है एवं रेलवे लाइन से लगी हुई है ।

ग्राम अच्छेजा व श्यामनगर की बैनामा पंजीकरण हेतु सर्किल दरें भिन्न-भिन्न हैं । ग्राम–अच्छेजा की दरें श्यामनगर की दरों से काफी अधिक है । दोनों ग्रामों में धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निष्पादित हुये बैनामें की दरों में भी भारी अन्तर है ।

धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये बैनामों के आधार पर ग्राम–श्यामनगर की भूमि की अनुमानित प्रतिकर दर रुपये 32.70 प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित है, जिसके आधार पर 80% अग्रिम प्रतिकर भुगतान का प्रस्ताव कृषकों को दिया जा चुका है, जिसको वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं । उनकी मांग है कि उन्हें भी ग्राम–अच्छेजा के कृषकों के समान रुपये 205 प्रति वर्ग मीटर की दर पर मुआवजा दिया जाय । परन्तु अर्जन निकाय द्वारा ग्राम–श्यामनगर के कृषकों के साथ रुपये 205 प्रति वर्ग मीटर की दर पर समझौता/करार की सहमति न होने के कारण इस दर पर उन्हें मुआवजा दिया जाना सम्भव नहीं है । ग्राम–श्यामनगर के कृषकगण ग्राम–अच्छेजा के कृषकों के समान मुआवजा न मिल पाने के कारण आन्दोलित हैं तथा उनमें रोष भी व्याप्त होना स्वाभाविक है ।

ग्राम–अच्छेजा की अर्जित की जा रही भूमि के बीच में प्राधिकरण के गठन के पूर्व ही सैन्चुरी लेमिनेटिंग प्रा०लि० फैक्ट्री स्थित है । सैन्चुरी फैक्ट्री के मालिक के इशारे पर दलित किसानों की भूमि कौड़ियों के भाव हड़पने का षडयन्त्र रचे जाने का कथन निराधार है एवं सत्य नहीं है । हापुड़ पिलखुवा विकास बोर्ड की चतुर्थ एवं पंचम बोर्ड मीटिंग में सैन्चुरी लैमिनेटिंग कम्पनी लिमिटेड को नियमानुसार निर्धारित दरों पर ही उपाध्यक्ष द्वारा भूमि का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

दिनांक 4-01-2002 को तत्कालीन जिलाधिकारी श्री देवाशीष पण्डा की उपस्थिति में ग्राम–अच्छेजा एवं श्यामनगर के कृषकों तथा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की समझौता वार्ता अर्जनाधीन भूमि की प्रतिकर दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में हुयी थी परन्तु इस बैठक में उपाध्यक्षों के मध्य किसी प्रतिकर दर पर सहमति नहीं बन पायी एवं शीघ्र ही पुनः समझौता वार्ता किये जाने के निर्णय के साथ बैठक समाप्त हुयी । कथित रूप से इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुआवजा दर रुपये 200 से

250 के तय किये जाने का कथन सत्य नहीं है, जिलाधिकारी स्तर से न तो ऐसा कोई प्रस्ताव रख गय था और न ही ऐसी कोई बात कही गयी थी।

सम्बन्धित अर्जन निकाय हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण एवं श्यामनगर के सम्बन्धित भू-स्वामियों के बीच यदि करार नियमावली, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी प्रतिकर दर पर समझौता हो जाता है नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त समझौते के दरों के अनुरूप अभिनिर्णय घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा भूमि अध्यापित अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर अभिनिर्णय घोषित कर, प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद–गोण्डा के देवीपाटन मण्डल में वन विभाग के टिकरी रेंज मनकापुर के क्षेत्राधिकारी द्वारा मिलीभगत से लाखों रुपये की वन विभाग की लकड़ियों को बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० वन मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[दिनांक 29 जून, 2002 को शिकायत प्राप्त होने पर उप प्रभागीय वनाधिकारी को स्थलीय जांच हेतु भेजा गया। दो डी० सी० एम० ट्रक जलौनी लकड़ी पकड़ी गयी। उल्लेखनीय है कि कार्ययोजना में वृक्षों के बिरलन (थिनिंग) का कार्य रोपकों व ग्रामवासियों द्वारा वन विभाग के तकनीकी निर्देशन में किये जाने की व्यवस्था है। कार्य योजना के अनुसार यह वन उपज मौके पर स्थानीय उपयोग हेतु छोड़ दी जाती है। वास्तव में उपरोक्त दो डी०सी०एम० ट्रक में जलौनी की जो लकड़ी पकड़ी गयी थी, वह बिरलन (थिनिंग) की ही थी, जिसे स्थानीय टांगिया काश्तकारों द्वारा काटा गया था। बिरलन (थिनिंग) से प्राप्त प्रकाष्ठ के ले जाने हेतु टांगिया काश्तकार अधिकृत थे। कुछ टांगिया काश्तकारों द्वारा अपनी जलौनी की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् बची लकड़ी का विक्रय कर दिया गया था, जिसका क्रेता द्वारा उपरोक्त पकड़ी गयी दो डी०सी०एम० ट्रकों में ढुलान किया जा रहा था। चूंकि इस वन उत्पाद के ढुलान के लिए अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता होती है, जो इन ट्रकों के साथ नहीं था, अतः रेंज स्तर से वन अपराध संख्या–7/2002–02, दिनांक 6-7-2002 को जारी किया गया। इस अवैध अभिवहन के लिए रुपया 5,000 प्रतिकर वसूला गया है। यद्यपि पकड़ी गयी जलौनी उसी दिन अर्थात दिनांक 29-6-2002 को ही श्री राघव राम तिवारी की सुपुर्दगी में दे दी गयी थी, लेकिन वन अपराध दिनांक 6-7-2002 को काटने में हुए विलम्ब की जांच करने के आदेश विभागाध्यक्ष को दे दिये गये हैं। इस प्रकरण की जांच प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा से भी करायी गयी जिन्होंने दिनांक 8-7-2002 को स्थलीय निरीक्षण भी किया। उनके द्वारा उस भट्ठे की भी जांच की गयी जहां पर लकड़ी बेचे जाने की शिकायत की गयी थी। जांच में पाया गया कि भट्ठे पर रखी जलौनी उनके द्वारा वन निगम से खरीदी गयी है और उसकी पुष्टि में वन निगम द्वारा रवन्ना संख्या 72/450, 73/450, 74/450, 75/450, दिनांक 30-5-2002 (आयतन

नोट :– [ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

प्रत्येक रवन्ना दो घनमीटर) प्रस्तुत किया गया । जांच में सभी टांगिया काश्तकारों ने किसी भी वन कर्मी द्वारा प्रकाष्ठ को बेचे जाने से इन्कार किया ।

2–जहां तक अशर्फाबाद बीट कक्ष संख्या–8 व 9 से शिव दयाल गंज तक रेलवे लाइन के किनारे वृक्षों के भारी पैमाने पर रेंज अधिकारी द्वारा कटान किये जाने की शिकायत है, अवगत कराना है कि अशर्फाबाद बीट में कक्ष संख्या व 9 है ही नहीं । इस बीट में रामगढ़ कक्ष संख्या–20 व 21 है । कक्ष संख्या–20 में ही बिरलन (थिनिंग) कराया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । यदि सूचना में किये गये कथन का आशय टिकरी से शिव दयाल गंज कटरा तक की रेलवे लाइन से है तो स्थिति यह है कि इस रेलवे लाइन के किलोमीटर–23 से 25 के बीच वर्ष 1999-2000 में दो लाट–156 व 157 छापी गयी थी जिनमें वन निगम द्वारा यूकेलिप्टस के कुल 504 पेड़ों का कटान कराया गया था । रेलवे लाइन के इसी हिस्से में वर्ष 2001-2002 में बबूल के दो तथा शीशम के 7 वृक्षों का अवैध कटान पकड़ा गया था जिसका एच–2 केस जारी किया गया है । इस कटान का कुल मूल्य रु० 15110.00 है जिसके विरुद्ध अभियुक्तों से रुपया 40.000/- प्रतिकर वसूला गया तथा रु० 3178.00 की लकड़ी बरामद की गयी है ।

3–यद्यपि उपरिप्रस्तर में वर्णित है कि अशर्फाबाद बीट में कक्ष संख्या–8 व 9 स्थित नहीं है फिर भी सूचना में कक्ष संख्या–8 एवं 9 का उल्लेख होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा के दिनांक 15-8-2002 को रामगढ़ कम्पार्टमेंट–8 व 9 का स्थलीय निरीक्षण कराया गया । कम्पार्टमेंट 9 में अधिकांश भाग में 20 वर्षीय साल की पोलक्राप है और इसमें कोई अवैध कटान नहीं पाया गया । रामगढ़ कम्पार्टमेन्ट–8 नदी के किनारे स्थित है, इसके कुछ भाग में वृक्षारोपण 2 वर्ष पूर्व किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 15–20 वर्ष के साल के वृक्ष हैं तथा इसके बीच-बीच में खाली भूमि पड़ी है जो घास से अच्छादित है । इस क्षेत्र में भी कोई अवैध कटान नहीं पाया गया है ।

4–ज्ञातव्य है कि दिनांक 26-4-2000 को श्री मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये वक्तव्य के क्रम में दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की गयी है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में समस्त यथोचित कार्यवाही की गयी है । अतः सूचना में कही गई बातें सही नहीं प्रतीत होती हैं ।]

इण्टरमीडिएट से लेकर बेसिक शिक्षा तक के बच्चों के प्रवेश की सीमा 31 जुलाई, 2002 से बढ़ाकर 31 अगस्त तक किये जाने के संबंध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि गत् वर्षों में यह देखा गया है कि कक्षा–10 तथा कक्षा–12 में कतिपय विद्यालयों द्वारा अनधिकृत रूप से बहुत बड़ी संख्या में छात्र/छात्राओं का प्रवेश ले

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिया जाता है, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीषदीय परीक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय विद्यालयों में कक्षा–9 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की तुलना में कई गुना अधिक छात्र/छात्राओं को कक्षा–10 की परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन–पत्र भराये जाते हैं, जिससे शैक्षिक वातावरण दूषित हो रहा है एवं परिषदीय परीक्षा के संचालन में भी कठिनाई आ रही है । इसी परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2002-2003 में कक्षा–9, 10, 11 एवं 12 में दिनांक 31-7-2002 के पश्चात प्रधानाचार्यों द्वारा कोई नये प्रवेश नहीं दिये जायेंगे । जिन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण अथवा स्कूटिनी के कारण विलम्ब से घोषित होने, अथवा राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रकरण में दिनांक 31-7-2002 के पश्चात् भी संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश लिये जा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार लिये गये प्रवेशों की कुल संख्या–10 से अधिक नहीं होगी । उक्त संबंध में सभी जनपदीय अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों को सूचित किया जा चुका है । शिक्षा निदेशालय के उक्त आदेश के विरुद्ध वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका योजित की थी । उक्त याचिका के संबंध में मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-8-2002 में निदेशालय द्वारा जारी आदेश को उचित ठहराते हुये खारिज कर दिया है ।]

उत्तर प्रदेश के सीमान्त राज्यों से हुए पारस्परिक परिवहन समझौते अत्यधिक पुराने होने के कारण अप्रासंगिक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमांचल प्रदेश के साथ दिनांक 6-5-85 को एवं राजस्थान राज्य से दिनांक 10-3-89 को पारस्परिक परिवहन समझौते सम्पन्न हुए । मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 के अन्तर्गत चण्डीगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्यों से क्रमशः दिनांक 23-7-93 एवं 27-5-94 को पारस्परिक परिवहन समझौता सम्पन्न हुआ । जहां तक दिल्ली राज्य से परिवहन समझौते का प्रश्न है, इस राज्य से वर्ष 1985 में समझौता किया गया था जो अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 03-3-2000 को विखण्डित किया जा चुका है, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों से दिनांक 24-10-83 को परिवहन समझौता हुआ था, जिसके पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है । उत्तरांचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता हेतु दिनांक 11-7-2002 को दोनों राज्यों के मध्य सहमति हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा से वर्ष 1983 में किये गये समझौते में सहारनपुर के करनाल मार्ग को छोड़कर शेष सभी मार्ग मेरठ–चण्डीगढ़, सहारनपुर–जगाधरी, मुजफ्फरनगर–करनाल एवं

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरठ–अम्बाला मार्ग सम्मिलित है । उ० प्र० एवं हरियाणा राज्य के मध्य पुनरीक्षित परिवहन समझौता किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

शासन यातायात की आवश्यकताओं एवं अन्य क्षेत्रों मे हुए विकास के प्रतिपूर्ण रूप से सजग है तथा सीमावर्ती राज्यों–हरियाणा, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, चण्डीगढ़ एवं मध्य प्रदेश से हुए परिवहन समझौते को वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित करने हेतु संबंधित राज्यों से शासन द्वारा विचार-विमर्श की कार्यवाही प्रगति पर है ।

दिल्ली राज्य एवं बिहार से नया समझौता किया जाना भी शासन के विचाराधीन है । दिल्ली राज्य से नये समझौते के संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं ।

जहा तक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निजी संचालकों को संचालन की अनुमति दिये जाने का प्रश्न है, के संबंध में उल्लेख करना है कि समझौते से आच्छादित ऐसे मार्ग जो अधिनियम की धारा–100 के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है, उन पर निजी संचालकों को पूर्व में भी अनुमति दी जाती रही है तथा भविष्य में भी उन्हें अनुमति न दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु ऐसे मार्ग जो अधिसूचित हैं, उन पर निजी बसों के संचालन की अनुमति दिया जाना विधिक दृष्टि से संभव नहीं है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । 23-8-2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 20 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2002 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 21 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी० एल० 377 विधान सभा (635)–813–2003 (डी०टी०पी०) ।